

दिनांक 04 फरवरी, 2022 को प्रातः 9.30 बजे, राजकीय कालेज सभागार धर्मशाला में माननीय मुख्य मन्त्री हि0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की नौवीं बैठक हेतु कार्यसूची।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:-

1. निर्माण लिंक रोड जोहडू अम्ब से लेकर कालटी मेन रोड तक कार्य शुरू नहीं हुआ, नींव रख दी गई है।
(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

2. लिंक रोड मेन रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहारघाट तक 1 कि0मी0 रोड को पक्का करने बारे।
(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

3. विधान सभा क्षेत्र सिराज, ग्राम पंचायत थाची, राजस्व गांव थाची में सडक निर्माण बीर नाला से झूली।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

4. निर्माण सडक ग्राम शिलगांव ग्राम पंचायत आनंदपुर सम्पर्क रोड-शोधी ढली से शिलगांव तक धन राशि स्वीकृत करने बारे।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक मे नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

5. सडक निर्माण खलठूधार से लटेडी-चनेडी ग्राम पंचायत ननखडी, जिला शिमला,हि0प्र0।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक मे नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

6. सडक निर्माण अडी कैंची से झिंझणू वाया शरोग ग्राम पंचायत शोली विकास खण्ड ननखडी,जिला शिमला,हि0प्र0।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक मे नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

7. खेल मैदान लटेडी चनेडी ग्राम पंचायत ननखडी,जिला शिमला,हि0प्र0।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग बैठक मे नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

(लोक निर्माण विभाग)

जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित मदें:-

8. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में पाइपलाइन नेचुरल सोर्स स्योगी नाला से देव घर।

(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)

विभागीय उत्तर

ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग को पेयजल योजना त्रैम्बला को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी दिया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 50 व्यास की अतिरिक्त पाईप लाईन बिछाई जा रही है जिससे गाँव सयोग को सुचारू रूप से पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस से गाँव वालों की पानी की समस्या दूर कर ली जायेगी।

(जल शक्ति विभाग)

9. ग्राम पंचायत टियाली के गांव टियाली में पीने के पानी की व्यवस्था करना।

(दुनी चन्द कश्यप, कश्यप निवास नजदीक डा0घर टियोग, तहसील टियोग, जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418043178)

विभागीय उत्तर

ग्राम पंचायत टियाली को पीने का पानी उठाऊ सिंचाई योजना डाउन टियाली से दिया जा रहा है यह योजना दो चरणों में है व ग्राम पंचायत टियाली के निवासियों को 30 से 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पीने का पानी उपलब्ध कतवाया जा रहा है। यद्यपि ग्राम वासियों की शेष आवश्यकता पेयजल योजना मतियाना कुमारसेन सैंज और तहसील टियोग से लगते गाँवों की विभिन्न योजनाओं का संवर्धन व एकीकरण का कार्य पूर्ण होने पर पूरी कर दी जाएगी। इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 04.03.2014 को 149.93 रुपये करोड़ की हुई है। इस योजना का कार्य 47 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है जुलाई 2022 तक इस क्षेत्र के सभी घरों को नल से जल की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(जल शक्ति विभाग)

10. गांव चाकला डा0 नारग, तहसील पच्छाद जिला सिरमौर में पानी की समस्या को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करके अनुगृहित करें।

(माया राम बरड बस्ती ग्रा0 व डा0 सलोगडा, तहसील एंव जिला सोलन मोबाईल न0 8350846757)

विभागीय उत्तर

वर्तमान में गाँव चाकला को नारग नौहरा उठाऊ पेयजल योजना से पेयजल योजना से पेयजल की आपूर्ति 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर को नल से जल की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है व श्री माया राम जी को भी जल जीवन मिशन के तहत नल की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(जल शक्ति विभाग)

11. उठाऊ सिचाई योजना चबैर खड्ड से करांगला, ग्राम पंचायत करांगला, विकास खंड ननखडी, जिला शिमला, हि0प्र0 ।
(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उठाऊ सिचाई योजना चबैर खड्ड से देलठ करांगला के नाम से अपीयर हुई है जिसके लिए वर्ष 2021-22 में 108.00 लाख रुपये का प्रावधान है। इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 1180.86 लाख रुपये की प्राप्त हो चुकी है इसका कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा।

(जल शक्ति विभाग)

12. पेयजल योजना धरठगाढ से करांगला ग्राम पंचायत करांगला, विकास खण्ड ननखडी, जिला शिमला, हि0प्र0 ।
(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

पेयजल योजना धरठगाढ से करांगला, ग्राम पंचायत करांगला, विकास खंड ननखडी का प्राक्कलन तैयार करके जल जीवन मिशन की दूसरी शैल्फ में स्वीकृति हुई है। इस योजना की अनुमानित लागत मु0 167.34 लाख रुपये है और 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है और कार्य प्रगति पर है। जुलाई 2022 तक इस क्षेत्र के सभी घरों को पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(जल शक्ति विभाग)

13. सिंचाई योजना झालाबाई, देवरी, फलई ग्राम पंचायत ननखडी , ननखडी विकास खण्ड, जिला शिमला, हि0प्र0 ।
(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

झालाबाई, देवरी फलई के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजना कुरपन खड्ड से बनखोरी ग्राम समूह से जोडने का प्रावधान किया गया है जैसे ही इस योजना का कार्य पूर्ण होगा यहां के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल मुहैया करा दिया जाएगा, उपरोक्त योजना की अनुमानित लागत मु0 1344.60 लाख रुपये है और 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है और कार्य प्रगति पर है। जुलाई 2022 तक इस क्षेत्र के सभी घरों को पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(जल शक्ति विभाग)

14. हैण्ड पम्प नजदीक राधास्वामी भवन कांगड़ी वार्ड न0 5 ग्राम पंचायत कैलाशपुर विकास खण्ड पंचरुखी।

(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

राधास्वामी भवन कांगडी वार्ड न0 5 ग्राम पंचायत कैलाशपुर विकास खण्ड पंचरूखी को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से उठाऊ पेयजल योजना किल्ली भुआना से पीने के पानी (LPCD) की सप्लाई दी जा रही है। पेयजल की आवश्यकता अनुसार ही हैंडपंप लगाने का कार्य किया जाएगा।

(जल शक्ति विभाग)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें:-

15. विधानसभा क्षेत्र जोगिन्द्रनगर नगर, ग्राम पंचायत द्रुबल, राजस्व ग्राम द्रुबल में 5 सौर ऊर्जा लाइट(कुंनकर)पोस्ट आफिस दुर्बल जोगिन्द्र नगर ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt. Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)

विभागीय उत्तर:-

इस मद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग में सौर लाइटें प्रदान करने के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। परन्तु ग्राम पंचायतें 14वें व 15वें वित्तायोग की राशि के अर्न्तगत पंचायत क्षेत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार लाइटें लगा सकती हैं तथा शमशान घाट निर्माण कर सकती है।

(पंचायती राज विभाग)

16. **Reservation in Panchayati Raj System (Three Tyre System) in Kinnaur District Key Post i.e. Panchayat Pradhan, BDC Chariman and Z.P. Chariman**

जिला किन्नौर में अनु0जाति वर्ग के लिए पंचायती राज प्रणाली में मुख्य पद जैसे:-

- (1) प्रधान पद पंचायत (Panchayat)
- (2) अध्यक्ष विकास खण्ड (B.D.C)
- (3) अध्यक्ष जिला परिषद (Z.P)

जबकि सन 2000 से पूर्व इन पदों के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होता है अब Key Post में आरक्षण पुनः लागू किया जावे जिसमें समस्त किन्नौर के अनु0जाति वर्ग के लोगों को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा ।
(यशवन्त सिंह ग्रा0 व डा0 पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0-172104 मोबाईल न0 9805442061, 8519598047)

विभागीय उत्तर:-

इस मद के सम्बन्ध में PESA Act, 1996 में पंचायत (तीनों स्तरों) तथा हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा(घ) में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जिसमें उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को आरक्षण देना सम्भव नहीं है।

(पंचायती राज विभाग)

17. गांव वणी डा0 नागनी भडवार, तह0 नूरपूर, जिला कांगडा के लिए 10 सोलर लाईट की मांग की गई है ।

(केवल सिंह पुत्र श्री चंदू राम ग्रा0 वणी डा0 नागनी भडवार, तह0 नूरपूर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816476864, 8219811521)

विभागीय उत्तर:-

इस मद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग में सौर लाईटें प्रदान करने के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। परन्तु ग्राम पंचायतें 14वें व 15 वें वित्तायोग की राशि के अर्न्तगत पंचायत क्षेत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार लाईटें लगा सकती हैं।

(पंचायती राज विभाग)

18. ग्राम पंचायत गदियाडा के वार्ड बरोल में आरामघाट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने बारे विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 गाहर (चथमी) डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर:-

इस मद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायतें 14वें व 15वें वित्तायोग की राशि के अर्न्तगत पंचायत क्षेत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार आरामघाट निर्माण कर सकती हैं ।

(पंचायती राज विभाग)

19. पक्का रास्ता सड़क से शमशानघाट कोट ग्राम पंचायत भवाना विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 गाहर(चथमी)डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरुखी द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 10.12.2021 को संबधित ग्राम पंचायत को इस कार्य को मनरेगा शैल्फ में सम्मिलित करने बारे निर्देश दे दिए गए है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

20. SC जाति के परिवारों को बी0पी0एल0 में चयनित करने के लिए अलग से SC Community से ही स्पैशल कमेटीज बनाई जायें ताकि चयन में न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0, मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर

इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों के चयन मापदण्ड भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए थे तथा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण गाईडलाईन-2002 के अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों के चयन हेतु केवल ग्राम सभा सक्षम है। उक्त गाईडलाईन के प्रावधान अनुसार बी0पी0एल0 सूची में परिवारों के चयन हेतु सर्वेक्षण अंकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित 13 सामाजिक आर्थिक मानकों के आधार पर प्रत्येक मानक में 0 से 4 अंक देकर उनकी स्थिति दर्शायी जाती है। यह सामाजिक आर्थिक मानक निम्न प्रकार से है:-

1. क्रियाशील जोत की भूमि का आकार समूह
2. मकान का प्रकार
3. सामान्यतः पहनने के कपडों की उपलब्धता
4. भोजन की सुनिश्चितता
5. स्वच्छता
6. उपभोक्ता चिरस्थायी सामान का स्वामित्व
7. उच्चतम साक्षर व्यस्क की साक्षरता की स्थिति
8. परिवार मजदूर बल की स्थिति
9. आजीविका का साधन
10. बच्चों की स्थिति
11. ऋण की किस्म
12. परिवार में प्रवास का कारण
13. सहायता की प्राथमिकता

अतः बी0पी0एल0 सूची में परिवारों के चयन का मापदण्ड केवल उपरोक्त मानक पर निर्धारित है। जहां तक एस0सी0 जाति के परिवारों के चयन हेतु विशेष कमेटी एस0सी0 कम्युनिटी से ही बनाने का प्रश्न है, इस बारे भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

21. सुलभ शौचालय ग्राम पंचायत करांगला, ग्राम करांगला, विकास खण्ड ननखडी, जिला शिमला,हि0प्र0।
(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक) झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ननखडी द्वारा सूचित किया गया है कि संबधित ग्राम पंचायत में सुलभ शौचालय निर्माण के लिए इस प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शिमला को भेजा गया है। जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होगी, सुलभ शौचालय का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कर दिया जाएगा।

(ग्रामीण विकास विभाग)

22. सुलभ शौचालय ग्राम झाकडी,विकास खण्ड रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0।
(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रामपुर द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत झाकडी में श्री बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक) द्वारा सुलभ शौचालय बनाने बारे कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि SJVNL द्वारा झाकडी में 2 सुलभ शौचालयों का निर्माण पहले ही किया गया है व ग्राम पंचायत झाकडी की सूचना अनुसार अब पंचायत में सुलभ शौचालय बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है।

(ग्रामीण विकास विभाग)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मर्दें:-

23. निर्माण लिंक रोड मेन रोड कालटी से दलित बस्ती दीदू भडेच तक का निर्माण कार्य शुरू न होने बारे,जबकि एस0सी0एस0पी0 के तहत बजट उपलब्ध करवाया जाये।
(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट,तहसील रामशहर,जिला सोलन,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि कार्य कोड संख्या 2014-307-973(संपर्क सडक गांव भडेच दलित बस्ति ग्राम पंचायत क्यार कनैता) की नवीनतम स्थिति की सूचना प्रदान करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी, सोलन, जिला सोलन को इस निदेशालय के पत्र संख्या ESOMSA-SCSP (D.32-

Misc.)12- 1/2019-II-10415 दिनांक 19.7.2021 द्वारा लिखा गया है। इस सन्दर्भ में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को जिलाधीश सोलन द्वारा आदेश दे दिए गए हैं।

(समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

24. जो अम्बेदकर भवन सरकार ने बनवाये हैं। उनका उचित रख-रखाव होना चाहिए दूसरा में सरकार के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि गरीब लोगों के हित में योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ गरीब समाज तक नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा मेरे सरकार से प्रार्थना रहेगी कि जिला हेडक्वार्टर में अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई जाये।
(गुरमीत सिंह ग्रा0 गकनून,डा0 टूडू,तहसील शाहपूर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9418043178)
25. जयसिंहपुर में अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य।
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)
26. प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र में बने डा0 भीमराव अम्बेदकर भवनों के विस्तारीकरण हेतु बजट आंबटन किया जाए।
(राज कुमार पुत्र मेला राम गांव व डा0 जाहू,तहसील भोरंज,जिला हमीरपुर, मोबाईल न0 9418586700)
27. जो अम्बेडकर भवन हि0प्र0 में पिछली भाजपा सरकार ने बनाए थे उनमें से ज्यादातर की स्थिति दयनीय है, उनका भी रखरखाव व मुरम्मत सुनिश्चित की जाये।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)
28. जो अम्बेडकर भवन हि0प्र0 में पिछली भाजपा सरकार ने बनाए थे उनमें से ज्यादातर की स्थिति दयनीय है, उनका भी रखरखाव व मुरम्मत सुनिश्चित की जाये।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

मद संख्या 24 से 28 जो कि अम्बेडकर भवनों से सम्बंधित हैं, के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में डा0 भीम राव अम्बेदकर भवन बनाने का निर्णय लिया गया था और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अम्बेडकर भवन के निर्माण के लिए समस्त उपायुक्त (किन्नौर व लाहौल स्पीति के अतिरिक्त) हिमाचल प्रदेश को 10.00 लाख रुपये प्रति अम्बेडकर भवन की दर से प्रदान किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या, एस0जो0ई0बी0-सी(10)9/2009 और दिनांक 21.10.2010 के अनुसार डा0बी0आर0 अम्बेडकर भवनों का संचालन तथा रख-रखाव संबधित नगर निगम/

नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसे यह सौंपा गया है तथा इनके रख-रखाव एवं संचालन हेतु सरकार द्वारा अलग से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में सरकार द्वारा प्रत्येक जिला परिषद वार्ड स्तर पर जहां भवन नहीं है, अनुसूचित जाति बहुल पंचायत में मुख्यमंत्री लोक भवन बनाने का निर्णय लिया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

29. अनुसूचित जाति मकान निर्माण हेतु अनुसूचित जातियों के पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार से जो राशि दी जाती है वह उचित है। जो मकानों की संख्या कम की गई है उसे बढ़ाया जाए।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)
30. जो मकान के केस समय बद्ध तैयार नहीं हुए उसकी दूसरी किश्त अदा की जाए।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)
31. **SC Community** के लिए मकान के लिए बहुत ही कम मकान आते हैं जो कि केवल नाम मात्र है। अतः आपसे अनुरोध है कि मकान की संख्या बढ़ाई जाए ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकें।
(श्री सतपाल धीमान ग्रा0 व डा0 राज का बाग, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, मोबाईल: 9878039527)
32. **Providing special housing grant to schedule castes families.**
(त्रलोक चन्द संधु पुत्र श्री गोरखू राम ग्राम रिपोह मुनमनयारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 मोबाईल न0 9418167521)
33. गृह-निर्माण योजना में अधिक से अधिक मकान लोगों को उपलब्ध करवाए जाए क्योंकि ऊना में अभी तक 2015 में जो मकान के लिए लोगों ने आवेदन किया है वह भी पूरा नहीं हो सका।
(सूरम सिंह पुत्र सर्वण सिंह ग्रा0 व डा0 जसाना, तहसील बगाना, जिला ऊना, हि0प्र0, मोबाईल न0 9816611801)

विभागीय उत्तर:-

मद संख्या 29 से 33 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के सन्दर्भ में है। योजना के अन्तर्गत अनु0जाति, अनु0 जन जाति व अन्य पिछडा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण हेतु मुबलिक 150000/- रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष

2018-19 में इस योजना के अर्न्तगत मु0 1354.95 लाख की राशि व्यय कर अनु0 जाति के 1168 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अर्न्तगत 1443.10 लाख की राशि व्यय कर अनु0 जाति के 1183 लोगों को लाभान्वित किया गया, वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना के अर्न्तगत मुबलिक 4379.10 लाख रूपये की राशि व्यय कर अनु0 जाति के 1723 लोगों को लाभान्वित किया गया है। सरकार द्वारा 2020-21 के बजट आश्वासन में वर्ष 2022 तक अनु0जाति के सभी लम्बित मामलों को चरण बद्ध तरीके से निपटाने का निर्णय लिया गया है।

विभाग की अधिसूचना संख्या 22-2/69 VOL.II-Sect., दिनांक 22.8.1975 द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्रान्ट आफ हाऊसिंग सब्सीडी टू बैकवर्ड कलासिज रूल्ज, 1975, अधिसूचित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार ही स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का संचालन किया जाता है। उपरोक्त नियम के प्रावधान संख्या 9 में स्वीकृत अनुदान के उपभोग हेतु शर्त निर्धारित की गई है, कि स्वीकृत राशि को उपभोग 18 महीने के भीतर किया जाना है यद्यपि भारी हिमपात वाले क्षेत्रों के लिए उपभोग काल 2 वर्ष रखा गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

34. आजीविका कमाने हेतु जो स्कीम विभाग द्वारा औजार खरीदने के लिए जो राशि दी जाती है वह बहुत कम है इसलिए उसे 1300 से बढ़ाया जाए।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)
35. सिलाई मशीन के लिए जो 1800 रू0 का अनुदान दिया जाता है वह बहुत कम है इसलिए इस राशि का भी बढ़ाया जाए।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी, तहसील व जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर:-

मद संख्या 34 व 35 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अर्न्तगत संचालित अनुवर्ती कार्यक्रम बारे है। इस योजना के अर्न्तगत अनु0जाति, अनु0 जन जाति व अन्य पिछडा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को आजीविका चलाने के लिए सिलाई मशीन व औजार के रूप में अनुदान क्रमशः 1800 व 1300 की दर से अनुदान दिया जा रहा है। इन अनुदानों में बढ़ोतरी हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

36. अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनके लिए Income बढ़ाई जाए क्योंकि बीसवीं सदी में लोगों को सुविधा के नाम से ठगा न जाएं आज की तारीख में 35000/- रूपये Income के दायरे में बहुत कम लोग आते हैं अतः

आपसे अनुरोध है कि यह **Income** कम से कम एक लाख रुपये की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।

(श्री सतपाल धीमान ग्रा० व डा० राज का बाग,तहसील नुरपूर,जिला कांगडा,हि०प्र०, मोबाईल: 9878039527)

विभागीय उत्तर:-

वर्तमान में वार्षिक आय की सीमा को 35000/- से बढ़ाकर 50,000/- रुपये करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

37. **S.C Act** के अर्न्तगत अत्याचार से प्रभावित लोगों को प्रायः बड़ी आर्थिक सहायता दी जाये।
(एम० आर० दडोच ग्रा० व डा० बंगाना, जिला ऊना, हि०प्र०,मोबाईल न० 9418062900)
38. अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्ण रवैया एवम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग न करना।
(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा० सुनकली, तहसील घनारी,जिला ऊना,हि०प्र० मोबाईल न० 9805851342)
39. किसी भी ऐसी दशा में जिसमें आपसी भाईचारा टूटता हो एवम किसी भी प्रकार की समाजिक बुराई आडे आती हो उसे दूर करना एवम समाज का सुधार करना।
(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा० सुनकली, तहसील घनारी,जिला ऊना,हि०प्र० मोबाईल न० 9805851342)
40. अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति किसी भी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर हल करना।
(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा० सुनकली, तहसील घनारी,जिला ऊना,हि०प्र० मोबाईल न० 9805851342)
41. अनुसूचित जाति समाज पर कोई जुल्म होता है तो यह अन्यायपूर्ण है सरकार हमारी है। क्या यह मोर्चा उन परिस्थितियों में पीडित व्यक्ति जो अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है अन्याय और अत्याचार का शिकार होता है लेकिन किसी अन्य राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखता है उसके विरुद्ध समस्त समाज की आवाज उठनी चाहिए, परन्तु ऐसा मोर्चा से सम्बन्धित लोगों द्वारा नहीं हो रहा है। कृप्या इसका हल भी बतायें।
(एम० आर० दडोच ग्रा० व डा० बंगाना, जिला ऊना, हि०प्र०,मोबाईल न० 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

मद संख्या 37 से 41 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम 1989(संशोधित अधिनियम,2018) व नियम 1995 (संशोधित नियम,2016) के सन्दर्भ में प्राप्त हुई है। इस अधिनियम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों से अत्याचार के मामलों की शिकायत पुलिस के पास की जा सकती है। अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने बारे समय समय पर पुलिस विभाग, उपायुक्तों एवं जिला कल्याण अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। यदि कोई अधिनियम के इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो दोषियों को दण्डित कर पीड़ितों को राहत प्रदान करने का प्रावधान है। अनु0जाति/ अनु0 जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जातिगत भेदभाव पूर्ण रवैया एवम जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने पर, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। पिड़ित व्यक्तियों को अधिनियम की संशोधित धाराओं, अत्याचार की प्रवृति तथा पुलिस के जांच रिपोर्ट के आधार पर मु0 85000/- से 825000/- रूपये की पुर्नवास राहत राशि पीड़ित को देने का प्रावधान है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

42. अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अर्न्तगत आयु 70 वर्ष से कम करके 60 वर्ष करने बारे जिसमें सालाना आय की कोई भी शर्त न हो ।

(रमेश हीर पुत्र श्री ईशर दास निवासी ग्राम व डा0 गगरेट,उप तहसील गगरेट स्थित कलोह जिला, जिला ऊना,हि0प्र0, मोबाईल न0 9816284499)

43. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु SC वर्ग के लिये 60 वर्ष बिना आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए।

(सूरम सिंह पुत्र सर्वण सिंह ग्रा0 व डा0 जसाना, तहसील बगाना, जिला ऊना, हि0प्र0, मोबाईल न0 9816611801)

विभागीय उत्तर:-

मद संख्या 42 व 43 समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित है। इस योजना के अर्न्तगत सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी जाति के आधार पर सभी वर्गों के पात्र व्यक्तियों को दी जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन वार्षिक आय/ बी0पी0एल0 आधार पर पेंशन के लिए पात्र है। सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 35000/- से बढ़ाकर 50000/- रू0 करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मई 2021 से स्वर्ण जयन्ती नारी सम्बल योजना के तहत 65 वर्ष आयु पूर्ण करने वाली महिलाएं जो आयकर दाता न हो व सरकारी सेवा की पेंशन न ले रही हों, को बिना आय सीमा के 1000/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है व 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों, जो आयकर दाता न हो व सरकारी सेवा की पेंशन न ले रहे हों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के 1500/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

44. अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित युवाओं व छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग देने बारे ।

(रमेश हीर पुत्र श्री ईशर दास निवासी ग्राम व डा0 गगरेट,उप तहसील गगरेट स्थित कलोह जिला ,जिला ऊना,हि0प्र0, मोबाईल न0 9816284499)

विभागीय उत्तर:-

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत शुरू की गई थी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं से पूर्व पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,शिमला के माध्यम मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जा रहा है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

45. अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा योजना लागू करके बजट का प्रावधान करके ग्राम पंचायतों में आबंटन करना।

(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा0 सुनकली, तहसील घनारी,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9805851342)

विभागीय उत्तर:-

अनु0 जाति विकास योजना के अर्न्तगत कुल वार्षिक बजट का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए व्यय किया जाता है ।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

46. हमारे समाज का भी कल्याण बोर्ड (बरड) बनवाकर कृतार्थ करें ।

(माया राम बरड बस्ति ग्रा0 व डा0 सलोगडा, तहसील एवं जिला सोलन मोबाईल न0 8350846757)

विभागीय उत्तर:-

हिमाचल प्रदेश बरड कल्याण बोर्ड का गठन बारे मामला सरकार भेजा गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

47. **To Generate Employment through SC,ST, Corporation at distt. Level.**

(त्रलोक चन्द संधु पुत्र श्री गोरखू राम ग्राम रिपोह मुनमनयारी,तहसील अम्ब,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418167521)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यह निगम जिला स्तर पर स्थापित जिला प्रबन्धक कार्यालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से अनुमोदित विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से ही ऋण सुविधा प्रदान करता है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

48. अनुसूचित जाति के लोगों को बैंक से जो ऋण की सुविधा मिलती है। उसमें कम से कम 100000/- रुपये तक के ऋण तक बैंक में ली जाने वाली गारंटी के तौर पर लिए जाने वाले गारंटर की **condition** को हटाया जाए ताकि गरीब आदमी अपना कोई काम कर सके क्योंकि गरीब आदमी को सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि उनको **Guarantor** ही नहीं मिलते है।

(श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद ग्रा० गून डा० देहरिया,तह० ज्वालामुखी,जिला कांगडा,हि०प्र०, मोबाईल: 9816164138)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निगम ऋण देने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई शर्तों का पालन करते हुए मुबलिक 50000/- रुपये तक के ऋण मामलों को बैंक को प्रायोजित करता है, यदि सरकार इस बारे में निगम को कोई निर्देश जारी करती है तो तुरन्त अनुपालना की जाएगी।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

49. अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जल्दी से की जावे।

(एम० आर० दडोच ग्रा० व डा० बंगाना, जिला ऊना, हि०प्र०, मोबाईल न० 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2016 में किया जा चुका है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

50. बाल्मिकी समाज आयोग की स्थापना बिना विलम्ब की जावे। बहुत वर्षों से यह समाज अनाधिकृत जमीन पर निवास कर रहा है, इसलिए इस जमीन को उनके नाम

नियमित किया जावे ताकि वे भी यहां विश्वस्त रूप से रह सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:—

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2016 में किया जा चुका है तथा बाल्मिकी समाज के लिए अलग से बालमिकी कल्याण बोर्ड का गठन सरकार द्वारा किया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/राजस्व विभाग)

विद्युत विभाग से सम्बन्धित मदें:—

51. अनु0जाति बस्ती ग्राम धावन में जो बिजली विभाग का जो ट्रांसफार्मर लगा है वह पिछले दो वर्षों से खराब पडा है उसे बदला जाए ताकि लोगों की इस समस्या का निदान हो सके।

(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी,तहसील व जिला शिमला,हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर:—

अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम धावन के लिए लो वोल्टेज स्कीम फेज-1 के अन्तर्गत 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर वर्ष 2019-20 में लगाया गया था जिसकी एल0टी0 लाईन Right of way न मिलने के कारण कनेक्ट नहीं की गई थी जिसे अब जोड दिया गया है। अतः अब उपरोक्त ट्रांसफार्मर से सम्बन्धित क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से दी जा रही है।

(विद्युत विभाग)

52. ग्राम पंचायत केवली के रौणी-चदारा में बिजली का ट्रांसफार्मर लगाना।

(दुनी चन्द कश्यप,कश्यप निवास नजदीक डा0घर ठियोग,तहसील ठियोग,जिला शिमला,हि0प्र0, मोबाईल: 9418043178)

विभागीय उत्तर:—

ग्राम पंचायत केवली के रौडी-चदारा के लिए लो वोल्टेज पौकेट स्कीम सैकन्ड फेज में प्रावधान रख दिया गया है तथा स्कीम अनुमोदन हेतु प्रक्रियाशील है।

(विद्युत विभाग)

53. Installation of 2 KV Transformer at Tamnoti Village.

(राकेश डोगरा पुत्र श्री जीत सिंह ग्रा० छम्ब,डा० दिओरी खनेटी,तहसील कोटखाई, जिला शिमला,मोबाईल न० 9805103700)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान में दलित बस्ती तमनोती / टीन में मौजूद वितरण ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग की कोई समस्या नहीं है । तथापि ग्राम तमनोती में आगामी अतिरिक्त भार को ध्यान पर रखते हुए नए वितरण ट्रांसफार्मर का प्रावधान “Revamped Distribution Sector Scheme” के अर्न्तगत किया गया है। इसके अतिरिक्त इस ट्रांसफार्मर को वर्तमान “GSC Scheme” तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत स्थापित करने की सम्भावनाएँ भी तलाशी जा रही है।

(विद्युत विभाग)

पशु पालन विभाग से सम्बन्धित मर्दे:-

54. ग्राम गोरो कनावण अनु०जाति बस्ती में पशु औषधालय खोलने बारे:- इस राजस्व गांव से पशु औषधालय की वाया रोड दूरी 25 किलोमीटर है इस औषधालय के खुलने से दो पंचायतो के 20 उप गांवो को लाभ होगा (ग्राम पंचायत आंनदपुर) ।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी,तहसील व जिला शिमला,हि०प्र०, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग नवीनतम सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे ।

(पशुपालन विभाग)

भाषा एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मर्दे:-

55. अनुसूचित जाति बस्ती में बनें मंदिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन राशि की मांग:-

क्र०स०	मंदिर का नाम	स्थान व ग्राम पंचायत का नाम
1.	भीमा काली व लकडवीर मन्दिर	ग्राम बौंह,पंचायत पराली बदरूनी
2.	नरसिंह देवता मन्दिर	ग्राम धार, पंचायत देवरी खनेटी विकास

खण्ड व विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई ।

(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब,डा० देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि०प्र०,मोबाईल न० 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग से प्राप्त सुचनानुसार विभाग द्वारा मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के लिए धन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान नहीं है। मंदिरों के सौन्दर्यीकरण संबंधित कार्य पर्यटन विभाग से संबंधित है। परन्तु अनुसूचित जाति के प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने का प्रावधान विभागीय योजना -12 में है जिसमें विहित प्रपत्र के अनुसार सभी आवश्यक औपाचारिकताओं की पूर्ति के बाद प्रकरण प्राप्ति पर नियमानुसार मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु सहायतानुदान प्रदान करने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला भाषा अधिकारी शिमला के पत्र संख्या भासशि 1/2021-कल्याण बोर्ड-1839-1842, दिनांक 22.07.2021 के अंतर्गत अनुसूचित जाति बस्ती में बने मंदिरों भीमा काली व लकडवीर मंदिर तथा नरसिंह देवता मंदिर को योजना -12 के अनुरूप सहायतानुदान प्राप्त करने हेतु प्रपत्र भेजा गया है। योजना के अनुरूप इन मंदिरों से प्रकरण प्राप्त होने पर सहायतानुदान प्रदान किया जायेगा।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

56. अनुसूचित जाति समाज की यह मांग है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर डा० भीम राव अम्बेडकर साहिब जी का एक विशाल स्मारक बनाया जाए जहां विस्तृत पार्क भी जो जोकि एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जावे, जिसके लिए सरकारी भूमि पर्याप्त क्षेत्रफल में उपलब्ध करवाई जाए। यह S.C समाज के लिए गौरवमयी कदम होगा। पर्यटन की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगा। यही नहीं जिला स्तर भी बाबा साहिब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू व पार्क बने। यह उठाया गया कदम S.C समाज के मनोबल व आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ायेगी जिसकी अत्यन्त जरूरत है।

(एम० आर० दडोच ग्रा० व डा० बंगाना, जिला ऊना, हि०प्र०,मोबाईल न० 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सरकार के पत्र संख्या : PBW(B)F(I)5/2013, दिनांक 08.12.2015 के अंतर्गत भाषा एवं संस्कृति विभाग को प्रतिमा के आकार (Size), धातु (Metal) एवं नक्शा (Design) के लिए ही प्राधिकृत किया गया है। पार्क का निर्माण कार्य विभागीय परियोजना में नहीं आता है।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

57. जिला स्तर पर बाबा साहिब अम्बेडकर जी के पुस्तकालयों की भी स्थापना की जाये।

(एम० आर० दडोच ग्रा० व डा० बंगाना, जिला ऊना, हि०प्र०,मोबाईल न० 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार पुस्तकालय निर्माण का कार्य शिक्षा विभाग का है।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

58. अनुसूचित जाति समाज के जो भी मन्दिर, गुरुद्वारा जैसे सिद्धचानो मन्दिर रविदास जी महाराज के मन्दिर रविदास जी महाराज के मन्दिर बनाने/जीर्णोद्धार के लिये सरकार पैसे उपलब्ध करवाए जैसा कि पंजाब सरकार की तर्ज पर दिया जाता है।
(सूरम सिंह पुत्र श्री स्वर्ण सिंह ग्रा० व डा० जसाना, तहसील वगाना, जिला ऊना, हि० प्र०, मोबाईल न० 9816611801)

विभागीय उत्तर:-

धार्मिक संस्थानों पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान प्रदान करने हेतु सरकार की अधिसूचना संख्या एल.सी.डी.एफ.(8)-1/2016, दिनांक 03.03.2017 को अधिसूचित हुई है। इस योजना के अधीन प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक संस्थानों मंदिरों के जीर्णोद्धार /मुरम्मत हेतु अधिकतम राशि 25.00 लाख प्रदान की जाती है। इस योजना में नव निर्माण मान्य नहीं है। अनुसूचित जाति के प्राचीन मंदिरों/ धार्मिक संस्थानों के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार हेतु राशि स्वीकृत करने का प्रावधान योजना -12 में है। अतः उपरोक्त वर्णित धार्मिक संस्थानों के लिए हि.प्र. सरकार द्वारा विशेष घटक योजना (SCP) के अंतर्गत अलग बजट प्रावधित किया जाता है। पंजाब सरकार की तर्ज पर राशि स्वीकृत करने का कोई मापदंड नहीं है।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

59. हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी के मन्दिरों में जमीन व बजट का भी प्रावधान किया जाए। जोकि एक बड़ी समस्या है। सरकार इस ओर ज्यादा ध्यान दे।
(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा० सुनकली, तहसील घनारी, जिला ऊना, हि० प्र० मोबाईल न० 9805851342)

विभागीय उत्तर:-

मंदिरों के निर्माण हेतु जमीन व बजट के प्रावधान संबंधी मामला विभाग से संबंधित नहीं है। विभागीय योजना 12 में केवल पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार मुरम्मत का ही प्रावधान है।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

60. Installation of Dr. B.R Ambedkar Statue at Una Himarpur Red light chowk and declaration if the said chowk as Dr. B.R. Ambedkar chowk.

(त्रलोक चन्द संधु पुत्र श्री गोरखू राम ग्राम रिपोह मुनमनयारी,तहसील अम्ब,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418167521)

विभागीय उत्तर:-

सरकार के पत्र संख्या : PBW(B)F(I)5/2013, दिनांक 08-12-2015 के अंतर्गत भाषा एवं संस्कृति विभाग को प्रतिमा के आकार (Size), धातु (Metal) एवं नक्शा (Design) के लिए ही प्राधिकृत किया गया है।

(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:-

61. अनुसूचित जाति के लिए सरकारी नौकरियों का बैक लोग अतिशीघ्र भरा जाए।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

प्रदेश सरकार द्वारा सरकार के अधीन सभी विभागों /निगमों बोर्डों आदि में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व शारीरिक रूप से निःशक्त (विकलांगजनों अभ्यर्थियों) के प्रतिनिधित्व की कमी (Shortfall) तथा बैकलाग को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान (Special Recruitment Drive)चलाने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के पत्र संख्यारू पी0ई0आर0(एपी)-सी-बी(12)-2/2013-1, दिनांक 21.11.2015 द्वारा सभी सम्बन्धित को निर्देश जारी किए गए थे।इन निर्देशों को समय-2 पर दोहराया भी जाता रहा है। विभागों से कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.09.2019 तथा 04.01.2021 को निर्देश भी जारी किए गए हैं। सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

(कार्मिक विभाग)

62. सभी विभागों में प्रोन्नति में आरक्षण एस0सी0 के अधिकारियों व कर्मचारियों को बिना देरी किए प्रदान करें।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

राज्य सरकार के विभागों तथा सरकार के अधीन निगमों/बोर्डों में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मचारियों को विभिन्न संवर्गों के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में

आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं पर, पदों की उपलब्धता पर समय-2 पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

(कार्मिक विभाग)

63. भर्तियों में **Back door enteries** बन्द की जाये। उदाहरण के तौर पर एस.एम.सी. **PTA, outsources**, आशा वर्करज, आंगनवाडी वर्करज बिना आरक्षण भर्तियां की जा रही है जबकि बाद में पालिसी बनाकर उन्हें पक्का भी किया जा रहा है।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

राज्य सरकार के अधीन भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सीधी भर्ती के पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अर्न्तगत भर्ती एवम पदोन्नति नियमों में वर्णित/अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित चयन प्रक्रिया के उपरान्त भरे जाने का प्रावधान है। सरकारी सेवाओं में नियमित, अनुबंध/टैन्डोर आधार पर सभी भर्तियां जो सीधी भर्ती के माध्यम से सम्बन्धित पद के भर्ती एवम पदोन्नति नियमों में विहित प्रावधानानुसार होती है, में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। यद्यपि 45 दिनों से कम अवधि की अस्थाई नियुक्तियों, एकल पद एवम आपातकाल से निपटने के लिए की गई नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। आऊटसोर्स नीति, एस0एस0सी0,पी0टी0ए0, आशावर्करज,आंगनवाडी वर्करज आदि नीतियां कार्मिक विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इस मद को सम्बन्धित विभागों को स्थानान्तरित किया जाए।

(कार्मिक विभाग)

64. अध्यापकों की भर्ती टेनिंग शुद्धा प्रार्थियों में से पढाने की प्रतिभा जांचकर ही Merit base होनी चाहिए न की सिर्फ रोजगार देने के मकसद से, क्योंकि हमारे देश का भविष्य इन बच्चों पर ही आधारित है।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि इस मद को शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किया जाये क्योंकि भर्ती नियम सम्बन्धित विभागों द्वारा बनाये जाते हैं। इसलिए इस मद बारे नवीनतम सूचना शिक्षा विभाग द्वारा दी जानी है।

(कार्मिक विभाग)

65. सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के आश्रितों को करुणामूलक नौकरी बिना विलम्ब प्रदान की जाये इससे आर्थिक सहायता के साथ भागीदारी भी सुनिश्चित होगी ।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

कार्मिक विभाग ने इस मद के सम्बन्ध में सूचित किया है कि करुणामूलक आधार पर नौकरी की नीति को वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इस मद बारे सूचना सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जानी है।

(कार्मिक विभाग)

66. कौन सी जाति कहां रखनी है, अनुसूचित जाति में या फिर अनुसूचित जनजाति में । इस संशोधन के लिए प्रदेश SC & ST शोध संस्थान होता है जो इस पर जांच कर रिपोर्ट बनाता है । यह सर्वेक्षण रिपोर्ट की मंजूरी के लिए इसकी अनुशंसा करती है । इस शोध संस्थान की स्थापना अतिशीघ्र की जाये ।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायें।

(कार्मिक विभाग)

67. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त कितने कर्मचारी सेवार्यें प्रदान कर रहे हैं, क्या इन्हें रोस्टर लागू किया गया है

(श्री राज कुमार पुत्र श्री मेला राम गांव व डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला बिलासपुर, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418586700)

विभागीय उत्तर:-

कार्मिक विभाग द्वारा इस मद के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि आउटसोर्स नीति, आशावर्करज, आंगनवाडी वर्करज आदि नीतियां कार्मिक विभाग से सम्बन्धित नहीं है तथा इस मद बारे जानकारी विभिन्न विभागों से प्राप्त की जानी है।

(कार्मिक विभाग)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:-

68. आठवीं तक पास करना रोका जाये और पांचती व आठवीं को बोर्ड द्वारा ही परीक्षा ली जाये। यह मांग इसलिए उठाई गई है कि सरकारी स्कूलों में S.C वर्ग के

अधिकतर व गरीब समुदाय के बच्चे ही बहुतायत में पढते हैं जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता में अत्यन्त गिरावट आ चुकी है । स्कूलों में शिक्षकों का एक भी पद खाली न रहे और SMC,PAT,PTA की भर्ती बन्द की जाये क्योंकि व पढाने में सक्षम नहीं हों और हमारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है । स्कूलों में **Infrastructure** का भी संज्ञान लेना जरूरी है । शिक्षकों को कोई दूसरी ड्यूटी न दी जाये । उन्हें जवाबदेह बनाएं। राजनीति से दूर रखें।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया है कि पांचवी व आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा तथा PAT भर्ती का मामला प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय से सम्बन्धित है । शिक्षा विभाग समय-समय पर रिक्तियों को भरने हेतु सदैव प्रयासरत है और इस तथ्य से अवगत है कि शिक्षकों के पद अधिक समय तक रिक्त न रहें, व सम्भावित एवं वर्तमान रिक्तियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरने हेतु प्रयासरत है । विभाग द्वारा शिक्षा के स्तर को बनाये रखने हेतु समय समय पर पदों को भरने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है । और SMC भर्ती पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 से रोक लगा दी गई है तथा PTA की भर्ती भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई है । उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा समय-2 पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है तथा विभाग द्वारा उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का सदा प्रयास रहता है । शिक्षकों को दूसरी Duties बारे निर्णय सरकार स्तर पर ही लिए जाते हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा यह सूचित किया गया है कि सरकार के पत्र संख्या EDN-A(3)-2/2018 दिनांक 2.02.2019 के अन्तर्गत पांचवी और आठवीं में फेल न करने की नीति को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार के पत्र संख्या ई.डी.एन-सी-एफ(4)2/2020-एल दिनांक 13.7.2021 द्वारा कक्षा तीसरी,पाचवीं तथा आठवीं की बोर्ड की परीक्षा करवाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग समय-समय पर रिक्त पदों को भरने हेतु सदैव प्रयासरत है और इस तथ्य से अवगत है कि शिक्षकों के पद अधिक समय तक रिक्त न रहे एवं सम्भावित एवं वर्तमान रिक्तियों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरने हेतु प्रयासरत है। विभाग द्वारा शिक्षा के स्तर को बनाये रखने हेतु समय-2 पर पदों को भरने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। और SMC भर्ती पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है तथा PAT और PTA की कोई भर्ती नहीं की जा रही है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-2 पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है तथा विभाग द्वारा उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है शिक्षकों को दूसरी Duties बारे निर्णय सरकार स्तर पर ही लिए जाता है।

(शिक्षा विभाग)

69. विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तकें,वर्दियां व अन्य सुविधाएं समय पर दी जायें।

विभागीय उत्तर:—

शिक्षा विभाग विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तकें वर्दियां व अन्य सुविधाएं समय पर देने के लिए सदा प्रयासरत है ।

(शिक्षा विभाग)

70. **S.C** वर्ग के विद्यार्थी ही बहुतायत में सरकारी स्कूलों में **Dropout** हो रहे हैं, इस संदर्भ में भी ठोस कदम उठाये जायें।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:—

सरकारी स्कूलों में Dropout को रोकने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला उप-शिक्षा निदेशकों (उच्चतर), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा राजकीय उच्च विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा विद्यालयों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/सुविधाओं जैसे कि मध्यांतर भोजन,दसवी कक्षा तक सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क वर्दी, हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं,सभी छात्राओं को विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा निःशुल्क, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को स्कूल स्तर तक प्रदान की जा रही निःशुल्क शिक्षा आदि के बारे में सभी विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए तथ इन योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाए।

इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) ने यह भी अवगत करवाया है कि निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अर्न्तगत कक्षा पहली से आठवी तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है साथ ही सरकार द्वारा स्कूलों से Dropout रोकने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है जैसे कि विभाग द्वारा कक्षा पहली से आठवीं तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एव वर्दी,मध्यान्ह भोजन,हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा एवं विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है।

(शिक्षा विभाग)

71. छुआछूत मुक्त हिमाचल प्रदेश व भारत बनाने के लिए प्रभावी व ठोस कदम उठाये जायें जिससे तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों की इस दुर्भावना का अन्त किया जा सके। विशेषतय पाठशालाओं में अनुसूचित जाति के बच्चों से भेदभाव कें मामलों में ठोस कदम उठाये जायें।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा) द्वारा सभी जिला उप-शिक्षा निदेशकों (उच्चतर), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों तथा राजकीय उच्च विद्यालयों के मुख्याध्यापकों को ऐसे मामलों की निगरानी हेतु समितियां बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) यह भी अवगत करवाया है कि मध्याह्न भोजन के अर्न्तगत पाठशालाओं में बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो के बारे में द्वारा समय-2 पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं ।

(शिक्षा विभाग)

72. अनुसूचित जाति के गुरुओं व महान व्यक्तियों की शिक्षा व जीवनियों को किताबों में पढाया जाये जैसे डा0 अम्बेडकर, सन्त रविदास, कबीर, बाल्मीकी,महात्मा फूले, सावित्री फूले, साहूजी महाराज,गुरनानक देव जी इत्यादि ।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

इस सन्दर्भ में शिक्षा विभाग, द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड , धर्मशाला तथा प्राचार्य, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन से मामला उठाया गया था जिसके अंतर्गत प्राचार्य, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन से प्राप्त सूचनानुसार पहली कक्षा से कक्षा 12 वीं तक अनुसूचित जाति के प्रख्यात गुरुओं व महान व्यक्तियों की शिक्षा, उनके महान कार्यों,योगदान , संघर्ष व जीवनियों को पहले से ही विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में पढाया जा रहा है ।

(शिक्षा विभाग)

73. लौहार घाट सीनियर सैकेण्डरी के भवन निर्माण बारे ।

(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट,तहसील रामशहर,जिला सोलन,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर:-

लौहारघाट सीनियर सैकेण्डरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा मु0 84,10,597 /- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 45,00,000 /- रुपये की राशि अधिशासी अभियंता,हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, नालागढ, जिला सोलन को जारी कर दी गई है ।

(शिक्षा विभाग)

74. पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत स्कालरशिप समय पर बांटना सुनिश्चित किया जाये।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप का बाँटना प्रत्येक वर्ष बजट की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।

(शिक्षा विभाग)

75. स्कालरशिप स्कैम का जल्दी से फैसला किया जाए ताकि गरीब बच्चों को इसका अविलम्ब लाभ मिल सके क्योंकि S.C वर्ग के विद्यार्थी इससे वंचित रहे हैं।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

वित्तीय वर्ष 2013 14 से 2016 17 के मध्य में छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता की जाँच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भारत सरकार द्वारा अभी जारी है। छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता की जाँच के मध्यनजर किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखा गया है।

विभाग द्वारा हर वर्ष छात्रवृत्ति योजनाओं की अधिसूचना एवं मानकों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को नियमित रूप से छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है।

विभाग द्वारा संबंधित संस्थानों से सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि हिमाचली प्रमाण पत्र आधार कार्ड गैप ईयर एफिडेविट पिछली कक्षा का परीक्षा फल एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले शैक्षणिक वर्ष का परीक्षा फल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना विद्यार्थियों के बैंक खाते का नवीनकरण विवरण उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यदि उपरोक्त औपचारिकताएं विद्यार्थी एवं संबंधित संस्थान द्वारा पूरी की गई है तो छात्रवृत्ति लाभार्थी को डी0बी0टी0 के माध्यम से उसके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। अतः स्कालरशिप स्कैम की वजह से किसी भी पात्र विद्यार्थी को वंचित नहीं रखा गया है। छात्रवृत्ति बाँटने का कार्य जारी है।

(शिक्षा विभाग)

स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मर्दे:-

76. स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था खासकर गांवों के स्तर पर सुदृढ की जाए जहां ज्यादातर S.C. व गरीब समुदाय के लोग रहते हैं। डाक्टरज व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है जबकि यह स्टाफ हमेशा भरा रहना चाहिए।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(स्वास्थ्य विभाग)

गृह विभाग से सम्बन्धित मर्दे:-

77. अनुसूचित जाति के लोगों की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(गृह विभाग)

78. **Atrocity** के तहत सब केशों को स्पैशल अदालतें बना कर छः महीने के अन्दर निपटाया जाए।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(गृह विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मर्दे:-

79. जमीन SC वर्ग के लोगों के पास नहीं है या बहुत कम है,गांवों के आखिरी व बेकार छोर पर बस्तियां हैं, जहां रास्ता तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों की जमीन से ही होकर जाता है व जहाँ से वे लोग सडक या पक्का रास्ता नहीं बनाने देते। परिणाम यह है कि बहुतायत में प्रदेश के अन्दर बस्तियां है,जहां उचित रास्ता भी नहीं है। लडाईं झगडे होते है। इसलिए मांग की जाती है कि सरकार ऐसे मामलों में जमीन **Acquire** करे और हर बस्ती को पक्का रास्ता व सडक सुनिश्चित करे तभी **S.C. Component Plan** के अन्तर्गत धन का सदुपयोग होगा नहीं हो वापिस खजाने में चला जाता है या किसी अन्य कार्य को **Divert** कर दिया जाता है।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

80. S.C. समाज के भूमिहीन लोगों को जमीन तो दी ही जाए और जहां कहीं सरकारी जमीन पर वर्षों से घर बना कर रह रहे हैं उन्हें नियमित किया जाये । इसके अतिरिक्त भूमि को बराबर बांटने का कार्य भी S.C. वर्ग को करें जबकि बहुत सारे मकान व जमीने Adjusting में पडी है । देश में Landless बहुत है ।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

नायब तहसीलदार, भू-सुधार, ऊना ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को गृह-निर्माण के लिए भूमि का आबंटन किया जा रहा है। जाति/वर्ग विशेष को भूमि आबंटन करने तथा कब्जा नियमित के बारे में सरकार की तरफ से इस कार्यालय में कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जिला ऊना में सरकार की नीति के आधार पर कई व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी शामिल हैं।

(राजस्व विभाग)

81. S.C. वर्ग के लोग जो लम्बरदार नियुक्त किये गए हैं, उन्हें प्रतिफल धन राशि नहीं दी जा रही है, जहां दूसरी ओर उच्च जाति वर्ग के लोगों को यह राशि नियमित मिल रही है । कृप्या इसे S.C. वर्ग के लोगों के लिए भी बहाल की जाए ।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

जिला राजस्व अधिकारी,ऊना ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि जिला ऊना में नम्बरदारों /एस0सी0 नम्बरदारों को प्रति माह धनराशि दी जा रही है

(राजस्व विभाग)

82. बाल्मिकी समाज आयोग की स्थापना बिना विलम्ब की जाए। बहुत वर्षों से यह समाज अनाधिकृत जमीन पर निवास कर रहा है,इसलिए इस जमीन को उनके नाम नियमित किया जाए ताकि वे भी यहां विश्वस्त रूप से रह सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

83. अनुसूचित जाति की बस्तियों के लिए सड़क व रास्ता के लिए अगर जमीन आडे आती है तो उसके बदले शामलात व सरकारी भूमि दी जाये ताकि सड़क व रास्ता सुविधा उपलब्ध हो सके। विकास में शीघ्रता लाने के लिए जमीन के तबादला का अधिकार सम्बन्धित ग्रामीण पंचायत को दे देना चाहिए।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

84. वर्तमान में भूमि खरीद की स्टाम्प चुंगी की औसत मूल्य पर 8 प्रतिशत पुरुष व 6 प्रतिशत स्त्री के लिए है जो की ज्यादा ही नहीं अत्यन्त ज्यादा है। भू-माफिया के लिए तो इसका कोई असर नहीं पडता परन्तु भूमिहीनों के लिए जो भूमि खरीद पहुंच से बाहर है। बहुत से मामलों में तो भूमि की कीमत कम होती है परन्तु स्टाम्प चुंगी उस से ज्यादा होती है। इसलिए दलित वर्ग के लिए जिनके पास आज भी भूमि न के बराबर है, उन्हें वर्तमान स्टाम्प चुंगी दर समाप्त की जाये। यह फैसला अनुसूचित जाति के लोगों के हित में होगा।
(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

85. हिमाचल प्रदेश की बहुत सी ऐसी दलित बस्तियां हैं जिनको बनी हुई लगभग 40-50 वर्ष हो गए है लेकिन उन बस्तियों में आज तक भी इनको रास्ता नहीं लगाया गया है, इनमें बंदोबस्त में रास्ता लगाना चाहिए था परंतु नहीं लगाया गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि प्रदेश में ऐसी बस्तियों को चिन्हित करके रास्ते का प्रावधान किया जाए:-

जैसा गांव बहडाला तहसील व जिला ऊना में सड़क जो दलित बस्ती, राजपूत बस्ती में आज से 40 वर्ष पूर्व को बनवा दी गई थी लेकिन मेन रोड से लगभग 15-20 मीटर बनवाने से रह गई है और लोगों ने मकान डाल लिए हैं और पूरा गांव स्कूल के बीच से जाता है जिससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। कृपया उक्त सड़क को निकलवाया जाए। इसी प्रकार की स्थिति गांव चताडा की भी है। इस गांव मे भी दलित बस्ती हरियाली को बने हुए भी 50 साल हो गए हैं, परंतु उनके लिए भी रास्ता नहीं है।

कृप्या प्रदेश में ऐसी दलित बस्तियां चिन्हित की जाएं जिनको रास्ता नहीं है उनको रास्ता लगाया जाए तथा इन बस्तियों में बिजली,पानी,रास्ता इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

(बलबीर सिंह बग्गा ग्रा0 व डा0 बडाला,तहसील व जिला ऊना,हि0प्र0,मोबाईल न0 9418214813)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

86. F.R.A लागू करने बारे (Forest Right Act, 2006)

जिला किन्नौर में लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या अनु0जाति से सम्बन्ध रखते हैं जिसमें किन्नौर में 40 प्रतिशत लोगों के पास 10 बीघा से कम जमीन है और 60 प्रतिशत लोगों के पास 5 बीघा से कम है किन्नौर में सर्वाधिक अनु0 जाति वर्ग के लोगों के पास भूमि कतई नहीं है जिसे हम भूमिहीन भी कह सकते हैं किन्नौर में F.R.A लागू होना अत्यन्त जरूरी है।

(यशवन्त सिंह ग्रा0 व डा0 पानवी,तहसील निचार,जिला किन्नौर, हि0प्र0-172104 मोबाईल न0 9805442061, 8519598047)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

87. पुनर ताडा वार्ड न0 4 बटवाल बस्ती सडक से वंचित है, और इसमें अवैध कब्जाधारी सडक बनने नहीं दे रहे हैं।

(सुखदेव सिंह पुत्र श्री दीनानाथ ग्रा0 व डा0 पुनर,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0 मोबाईल न0 9816646352)

विभागीय उत्तर:-

सम्बन्धित विभाग सूचना बैठक में उपलब्ध करवायेंगे।

(राजस्व विभाग)

88. Attestation of mutation of land allotted to the landless schedule Cates and providing passage to the all ties.

(त्रलोक चन्द संधु पुत्र श्री गोरखू राम ग्राम रिपोह मुनमनयारी,तहसील अम्ब,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418167521)

विभागीय उत्तर:-

नायब तहसीलदार, भू-सुधार, ऊना ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि जिला ऊना में क्षेत्रीय कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा आबंटित की गई भूमि के समय-समय पर इंतकाल तस्दीक किए जा रहे हैं ।

(राजस्व विभाग)

89. हि0प्र0 में अभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से हैं। जिनके पास रहने के लिए भवन नहीं है वे खुले में रातें व्यतीत करते हैं । ऐसे व्यक्तियों की पंचायत प्रधान द्वारा सर्वे कराकर लिस्ट सरकार द्वारा मांगी जाए तथा उनकी मदद की जाए ।

(पुन्नु राम ब्लौसम पुत्र स्व: श्री खजानु राम ग्राम व डा0 टौणी देवी,तहसील बमसन,जिला हमीरपुर,मोबाईल न0 9805093502)

विभागीय उत्तर:-

जिला कल्याण अधिकारी,ऊना ने इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि जिला के समस्त तहसील कल्याण अधिकारियों को पंचायतों में सूचना प्राप्त करने बारे पत्र लिखा गया है।

इसी सन्दर्भ में उपायुक्त हमीरपुर से प्राप्त सूचना अनुसार तहसील कल्याण अधिकारियों व सम्बन्धित पंचायत प्रतिनिधियों /पंचायत सचिवों द्वारा समय-2 पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों के निर्धन परिवारों जिनके रहने योग्य घर नहीं हैं उनकी पहचान कर, प्राथमिकता के आधार पर स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना/प्रधानमन्त्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत गृह निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की जाती है।

(राजस्व विभाग/उपायुक्त हमीरपुर)

सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित मर्दें:-

90. अपनो से अपनी बात बिना हिचकचाहट की जा सकती है इसलिए C.M. Office में S.C वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें ।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

“There is no such provision/policy in the state Government that officers/officials could be posted in the offices on the basis of their category/cast.”

(सचिवालय प्रशासन विभाग)

उद्योग विभाग से सम्बन्धित मदें:-

91. हुनर सीख कर, स्वरोजगार से जुडकर, रोजगार देने वाले भी बन जाते हैं जहां कच्चा माल व बनाये गये माल की खरीददारी सरकार सुनिश्चित नहीं करती । इसे सरकार सुनिश्चित करे ताकि कारोबारी कर्ज तले दबकर रह जाये ।

(एम0 आर0 दडोच ग्रा0 व डा0 बंगाना, जिला ऊना, हि0प्र0,मोबाईल न0 9418062900)

विभागीय उत्तर:-

As per report received from the Controller of Stores, Himachal Pradesh Shimla1

1. that the store purchase organisation, Directorate of Industries, HP is a Nodal Agency to invite the tenders for award of rate contracts for the supply of various items/codes which are within the purview of this Organizaton and also new items for which requirement for inviting of tenders are recived from the concerned from time to time as per provisions contained under HPFR,2009 and detailed instructions & guidelines issued by this office vide notification dated 24-10-2013. The procurement of items is made by the concerned user Department etc. of Government of H.P as per terms & conditions of rate contract(s).Therefore concerned tenderers/manufacturers/sellers may be asked/advised tp participate in the concerned tender(s) as and when the same are invited by this office from time to time. The detail of notice inviting tenders is uploaded on departmental site-emerginghimachal.hp.gov.in & hptenders.gov.in from time to time.
2. As per GFR,2017 Department of Finance Government of HP has made amendments vide notification No Fin(C) A(3) 5/2004 dated 19.07.2017 & 12.02.2020 in Rule- 94 and Rule-112 of HP Financial Rules,2009 for implementation of GeM Portal services in the Government of H.P. In this portal, manufactures/suppliers can upload their itmes with proper specification. The concerned sellers may be asked/ advised to upload their itmes on GeM Portal. Therefore, they may be able to provide better on-line services for selling their products through GeM in the offices of the Central/State Government.

However,any clarification is required for procurement of itmes through GeM Portal, the concerned tenderer/seller can visit this office any working day or contact/take up the matter with this office through e-mai-tendres-ind-hp@nic.om/GeM Authorities/Mr. Kush Tyagi GeM Facilitator through e-mail: Kush.tyagi@ ia.000 & Mob No. 7823922519

(उद्योग विभाग)

92. मेरी माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि खनन माफिया को जड से खत्म किया जाए आम लोगों का विचार है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की खनन माफिया को कोई फर्क नहीं पडता मेरी आप जी से विनती है कि हम लोगों के विश्वास पर खरा उतरे ताकि लोग हम पर विश्वास कर सके ।

(रमेश चन्द पुत्र स्व: श्री संत राम ग्राम व डा0 सासन,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9318843441)

विभागीय उत्तर:-

इस सम्बन्ध में राज्य भूविज्ञानी द्वारा सूचित किया गया है कि अवैध खनन की रोकथाम हेतू सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश गौण खनिज रियायत और खनिज रियायत और खनिज(अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण)नियम 2015 बनाए गए हैं तथा तदोपरान्त अवैध खनन को सख्ती से रोकने के लिए उपरोक्त नियमों में अधिसूचना संख्या: इण्ड-11(बी)6-14/2014-1 दिनांक 06.04.2018 के द्वारा संशोधन किया गया है जिसमें अवैध खनन की रोकथाम के लिए कठोर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

अवैध खनन के लिए वर्ष 2018 में किये गये दण्ड का प्रावधान-

- अवैध खनन में संलिप्त दोषियों के लिए 5 लाख रुपये तक जुर्माना तथा दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया जबकि वर्ष 2018 से पूर्व मात्र एक वर्ष का कारावास तथा 25000/- रुपये का प्रावधान था।
- वर्ष 2018 में अवैध खनन में संलिप्त दोषियों के दण्ड को खनिज की मात्रा के साथ जोडा गया है यदि खनिज की मात्रा 25 मिटिक टन तक है तो कम्पाडिंग शुल्क 10000/- रू0 रखा गया है और यदि खनिज की मात्रा 25 मिटिक टन से अधिक हो तो 500/- रू0 प्रति टन अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा।
- अवैध परिवहन के मामले में न्यूनतम जुर्माना इस प्रकार होगा-

वाहन	क्षमता(मिटिक टन)	मिश्रित शुल्क
ट्रेक्टर	4	4500/-
ट्रक/टिपर	7	7000/-
ट्रक	10	1500/-
ट्रक	10	25000/-

- खनिज के अवैध भण्डारण की न्यूनतम कम्पाडिंग राशि 50,000/-रू0 के साथ Market Price पर निर्धारित की गई है।
- अवैध खनन रोकने के लिए जब्त समग्री एवं खनिज की अल्पकालिक नीलामी के लिए प्रावधान किया गया है।
जेसीबी के लिए दण्ड का प्रावधान-
- खनिज के मशीनरी द्वारा अवैध दोहन पर न्यूनतम कम्पाडिंग राशि 50,000/- तय की गई है।

इसके अतिरिक्त, ओवरलोडिंग अथवा अवैध खनन की किसी भी सम्भावना को रोकने के लिए जिला के पांच संवेदनशील क्षेत्रों(पंडोगा,गगरेट,बाथडी,मैहतपुर व पौलिया)में चैक पोस्टों की स्थापना की गई है।

वर्ष 2018-2019 में माह नवम्बर 2021 तक प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के 30677 मामलों दर्ज किये गये तथा मु0 15.63 करोड रुपये जुर्माना राशि दोषियों से कम्पाउडिंग फीस के रूप में वसूल किया गया है।इस वर्ष प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के 16 मामलों में FIR दर्ज की गई है।

(उद्योग विभाग)

उपायुक्त सोलन से सम्बन्धित मदें:-

93. गांव ओयली,धारक्लोनी,सलोगडा,परमाणु में जमीन सम्बन्धी समस्या को दुरुस्त करने बारे।

(माया राम बरड बस्ति ग्रा0 व डा0 सलोगडा, तहसील एवं जिला सोलन मोबाईल न0 8350846757)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त सोलन से प्राप्त सूचनानुसार मदों को अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सोलन और जिला राजस्व अधिकारी सोलन को आगामी कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं।

(उपायुक्त सोलन)

94. गांव धारक्लोनी में हमारे समाज के लोगों का रास्ता कई महीनों से बंद रखा है उसे भी सुचारु रूप खुलवाकर कृतार्थ करे।

(माया राम बरड बस्ति ग्रा0 व डा0 सलोगडा, तहसील एवं जिला सोलन मोबाईल न0 8350846757)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त सोलन से प्राप्त सूचनानुसार मदों को अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सोलन और जिला राजस्व अधिकारी सोलन को आगामी कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं।

(उपायुक्त सोलन)

95. निर्माण लिंक रोड मेन सडक से सुनलीरुग व बडल दलित बस्ती तक का निर्माण कार्य शुरू करने बारे।

(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट,तहसील रामशहर,जिला सोलन,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त सोलन से प्राप्त सूचनानुसार मदों को अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सोलन और जिला राजस्व अधिकारी सोलन को आगामी कार्रवाई हेतू दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं ।

(उपायुक्त सोलन)

96. निर्माण लिंक रोड मेन रोड कालटी से दलित बस्ति गांव वैहन्दी तक लगभग 2 कि0मी0 रोड पक्का करवाने बारे ।

(बाबू राम पंवर ग्रा0 व डा0 लौहारघाट,तहसील रामशहर,जिला सोलन,हि0प्र0 मोबाईल न0 9418258035)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त सोलन से प्राप्त सूचनानुसार मदों को अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सोलन और जिला राजस्व अधिकारी सोलन को आगामी कार्रवाई हेतू दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं ।

(उपायुक्त सोलन)

उपायुक्त शिमला से सम्बन्धित मदें:-

97. खेल मैदान लटेढी चनेढी ग्राम पंचायत ननखडी,जिला शिमला,हि0प्र0 ।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार खण्ड विकास अधिकारी ननखडी द्वारा अवगत करवाया गया है कि खेल मैदान लटेढी चनेढी ग्राम पंचायत ननखडी हेतु वर्ष 2021-22 के मनरेगा मद के अन्तर्गत शैल्फ में पारित कर दिया गया है जैसे ही मनरेगा शैल्फ स्वीकृत होगी तुरन्त खेल मैदान का निर्माण कर दिया जाएगा ।

(उपायुक्त शिमला)

98. जल निकासी योजना कदोग,शलेलठी नाला,सेरी ग्राम पंचायत ननखडी,जिला शिमला,हि0प्र0 ।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक) झाखडी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार उपरोक्त कार्य हेतु खण्ड विकास अधिकारी ननखड़ी को जल निकासी योजना बारे इस कार्यालय द्वारा निर्देश दिए गए है।

(उपायुक्त शिमला)

99. लघु सिंचाई जल योजना के तहत H.B पंजैल(गोरो कनावण)

इस गांव में 25 परिवार अनुजाति के निवास करते हैं । जोकि सभी कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते है(ग्राम पंचायत आनंदपुर,तहसील व जिला शिमला,हि0प्र0)।
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी,तहसील व जिला शिमला,हि0प्र0, मोबाईल न0 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति मण्डल कसुम्पटी द्वारा अवगत करवाया गया है कि हरिजन बस्ती H.B पंजैल (गोरो कनावण) किसी भी सिंचाई योजना से नही जुडा है। इसके लिए भविष्य में बजट का प्रावधान होना है। पानी का स्रोत उपलब्ध होने पर उक्त गांव के लिए सिंचाई योजना का निर्माण किया जा सकता है।।

(उपायुक्त शिमला)

100. अनुजाति बस्ती बागी की सडक रामपुर सडक से वाया रांजू शिली बागी तक सडक को मेटलिंग टायरिंग करने लिए धन राशि स्वीकृत करने बारे(ग्राम पंचायत बागी,विधानसभा शिमला ग्रामीण) ।

(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी,तहसील व जिला शिमला,हि0प्र0, मोबाईल न0 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशाशी अभियन्ता हि0प्र0लोक निर्माण मण्डल धामी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सडक अभी तक केवल ऐम्बुलैस स्तर की बनी है जिसका कार्य ग्राम पंचायत बागी द्वारा करवाया गया है । इस सडक की कुल लम्बाई 1200 मी0 की है जिस में से 400 मी0 मलकीयत भूमि एवं 800 मी0 भूमि वन भूमि है। अनापति प्रमाण पत्र एवं FCA उपरान्त ही उक्त सडक की मेटलिंग टायरिंग बारे कार्यवाही की जा सकेगी। इस बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अवगत करवाया गया कि अनापति प्रमाण पत्र एवं FCA की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर शुरू कर दी गई है।

(उपायुक्त शिमला)

- 101 अनु0जाति बस्ती शिलडू को सम्पर्क मार्ग देने बारे निर्माण सडक नालागड शिमला रोड से शिलडू गांव तक (ग्राम पंचायत बागी)
(प्रदीप कुमार कश्यप ग्राम पंजैल, डाकघर शौधी,तहसील व जिला शिमला,हि0प्र0, मोबाईल: 9418963719, 9805163719)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशाशी अभियन्ता हि0प्र0लोक निर्माण मण्डल धामी द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त सडक अभी तक केवल ऐम्बुलैस स्तर की बनी है जिसका कार्य ग्राम पंचायत बागी द्वारा करवाया गया है। इस सडक का भी अनापति प्रमाण पत्र एवं FCA उपरान्त ही कार्य किया जा सकेगा। इस बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा अवगत करवाया गया कि अनापति प्रमाण पत्र एवं FCA की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर शुरू कर दी गई है।

(उपायुक्त शिमला)

102. अनुसूचित जाति की बस्ती के लिए सडक निर्माण हेतु धन राशि की मांग:-सडक का नाम :- लिंक सडक बस स्टैंड देवरी खनेटी से छाम्ब वाया बरनोग का निर्माण, पूर्व में सडक का ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किया गया है अतः सडक को पूर्ण कार्य हेतु जैसे दिवारो,कलवटस,स्लैब कलवटस इत्यादि को पूर्ण करवाने हेतु धन राशि को स्वीकृत बारे मांग (ग्राम पंचायत देवरी खनेटी,विकास खण्ड जुब्बलकोटखाई,विधानसभा क्षेत्र:- जुब्बल कोटखाई)
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशाशी अभियन्ता हि0प्र0लोक निर्माण मण्डल कोटखाई द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त सडक का कार्य प्रगति पर है तथा सडक में दीवारो एवं कलवटस हेतु अतिरिक्त बजट बारे प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मामला भेजा गया है। ।

(उपायुक्त शिमला)

103. अनुसूचित जाति बस्ति नैनाधार के लिए निर्माण कार्य सडक निर्माण हेतु धन राशि की मांग सडक का निर्माण मुख्य सडक अलावंग से बैली सम्पर्क मार्ग से लगभग चार किलोमीटर अनुमानित होना है । पूर्णतयः बस्ती अनुसूचित जाति के लोगो की है । पंचायत का नाम- पराली दरुणी,विकासखण्ड,जुब्बल कोटखाई ।
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशाषी अभियन्ता हि0प्र0लोक निर्माण मण्डल कोटखाई द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त सडक का मु0 25 लाख रू0 प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा इसकी वितीय स्वीकृत हेतु मामला भेजा गया है।

(उपायुक्त शिमला)

104. ग्राम पंचायत कलजार/मत्याना के गांव कलजार में अनूसूचित जाति बस्ती के लिए पक्का-पाथ व ग्रामीणों के रसाई घरों से निकलने वाले पानी और ग्रामीणों द्वारा स्वयं पीने के पानी की पाइपों से लगातार रास्ते में बह रहे पानी को पांच इंच की प्लास्टिक पाइपों को बिछा कर खाली जगह में टैंक निर्माण करना अति आवश्यक है। क्योंकि अनूसूचित जाति के लोगों के घर निचली ओर बने हुए हैं सारे के सारा पानी उन्हीं के घरों को जाने वाले रास्ते में बह रहा है।

(दुनी चन्द कश्यप, कश्यप निवास नजदीक डा0घर टियोग, तहसील टियोग, जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल: 9418043178)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार खण्ड विकास अधिकारी टियोग द्वारा अवगत करवाया गया कि गांव कलजार में अनु0जाति बस्ती के लिए पक्का पाथ एवं रास्ते में 5 इंच की प्लास्टिक पाइपों की बिछाने बारे ग्राम पंचायत कलजार/मत्याना द्वारा उक्त कार्य के सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार करने बारे प्रस्ताव प्रारित किया गया है। सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(उपायुक्त शिमला)

105. अनुसूचित जाति बाहुल बस्ती बौह में सामुदायिक भवन को निर्माण हेतु धन राशि की स्वीकृति बारे मांग क्योंकि उक्त बस्ती में सामाजिक व धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करवाने के लिए कोई भी ऐसा बड़ा भवन नहीं है जहां एक छत के निचे ये सब कार्यक्रम करवाये जावे। अतः भवन निर्माण अति आवश्यक है। पंचायत का नाम देवरी खनेटी, विकासखण्ड व विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई।

(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0, मोबाईल न0 8219880013, 9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार खण्ड विकास अधिकारी कोटखाई द्वारा सामुदायिक भवन बौह हेतु मु0 255000/- का प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है। वितीय स्वीकृति उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(उपायुक्त शिमला)

106. अनुसूचित जाति बस्ती हिमरी में सामुदायिक भवन निर्माण बारे धन राशि की मांग, बस्ती में कोई भी सामाजिक व धार्मिक विवाह इत्यादि को करवाने के लिए उपयुक्त स्थान व भवन नहीं है सामुदायिक भवन का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का नाम:—हिमरी, विकासखण्ड व विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई।
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार खण्ड विकास अधिकारी कोटखाई द्वारा सामुदायिक भवन हिमरी हेतु प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है । वितीय स्वीकृति उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

(उपायुक्त शिमला)

107. अनुसूचित जाति बस्ती बदरूणी के लिए मुख्य सडक चांदनी चौक से बदरूणी बस्ती तक पक्का पाथ निर्माण बारे मु0 200,000 /— की राशि स्वीकृत करने बारे ।
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब,डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013, 9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार खण्ड विकास अधिकारी कोटखाई द्वारा उक्त कार्य हेतु मु0 200000 /—रु0 का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया हैं

(उपायुक्त शिमला)

108. **Construction of link road from Khaneti Bus Stand to Dalit Basti Chhamb via Barnog.**

(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे ।

(उपायुक्त शिमला)

109. **Provision of drinking Water scheme from Bonh naha to Dalit Basti Bonh.**

(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार उक्त बस्ती हेतु उठाउ पेयजल योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 8 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया जा चुका है प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(उपायुक्त शिमला)

110. Provision of 50 Solar lights to Dalit Bastis of Bonh, Chhamb, Dhar, Triyun, Alawang, Reog & Jashla.

(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

As per Deputy Commissioner Shimla report District Project Officer Himruja Shimla intimated that Solar Street lights under SCDP shall be distributed after obtaining approval from concerned MLA, constituency wise as recommended by Vidhan Sabha Kalyan samiti. In the current financial year 2021-22 list has already been approved by the Hon'ble MLA. The additional amount of Rs. 719220 has been required for 50 No. of Solar lights into above mentioned Harijan Bastis .

(उपायुक्त शिमला)

111. खेल मैदान एस0सी0 विलेज कुन्ठ ग्राम पंचायत करांगला, विकास खण्ड ननखडी, जिला शिमला, हि0प्र0।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार जिला योजना अधिकारी शिमला को खेल मैदान एस0सी विलेज कुन्ठ ग्राम पंचायत करांगला, को कार्य योजना में सम्मिलित करने बारे निर्देश दिए गए है।

(उपायुक्त शिमला)

112. खेल मैदान एस0सी0 विलेज करांगला, विकास खण्ड ननखडी, जिला शिमला,हि0प्र0।

(बाबू राम पुत्र श्री नीजू राम (भूतपूर्व विधायक)झाखडी, तहसील रामपुर,जिला शिमला,हि0प्र0)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार जिला योजना अधिकारी शिमला को खेल मैदान एस0सी विलेज करागला, को कार्य योजना में सम्मिलित करने बारे निर्देश दिए गए है।

(उपायुक्त शिमला)

113. पेयजल योजना अनुसूचित जाति बस्ती लोअर छाम्ब के लिए पाईप लाईन व भण्डारण टैंक व मुख्य स्रोत पर फिल्टर टैंक के निर्माण हेतु धन राशि की मांग:- पंचायत का नाम देवरी खनेटी, विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई।
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब, डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013,9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशासी अभियन्ता जल शक्ति विभाग जुब्बल द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना के लाभार्थियों को आवेदन हेतु निर्देशित किया गया है। इस योजना का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आवेदन प्राप्त होते ही प्राकवलन तैयार किया जाएगा।

(उपायुक्त शिमला)

114. अनुसूचित जाति बस्ती धार,अडोल को पेयजल योजना की स्वीकृति बारे योजना में पाईप लाईन भण्डारण टैंक चैम्बर की व्यवस्था को को धन राशि की मांग:- पंचायत का नाम देवरी खनेटी,विकासखण्ड व विधान सभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई।
(राकेश डोगरा, गांव छाम्ब,डा0 देवरी खनेटी,तहसील कोटखाई,जिला शिमला,हि0प्र0,मोबाईल न0 8219880013, 9805103700, 9418603700)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त शिमला से प्राप्त सूचनानुसार अधिशासी अभियन्ता जल शक्ति विभाग जुब्बल द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना के लाभार्थियों को आवेदन हेतु निर्देशित किया गया है। इस योजना का सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आवेदन प्राप्त होते ही प्राकवलन तैयार किया जाएगा।

(उपायुक्त शिमला)

उपायुक्त ऊना से सम्बन्धित मर्दे:-□

115. दो या तीन पंचायतों के मध्य में डा0 अम्बेडकर सामुदायिक भवन छोटे से पुस्तकालय सहित बनाया जाये, अगर सरकारी जमीन उचित स्थान पर उपलब्ध नहीं है तो उचित भूमि का चयन कर Acquire की जाए, यह S.C समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे।

विभागीय उत्तर:-

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सूचनानुसार जिन अनुसूचित जाति बहुल जिला परिषद वार्डों में अम्बेडकर भवन या लोक भवन निर्मित नहीं किये गये हैं, सरकार द्वारा अम्बेडकर भवन बनाए जाने प्रस्तावित है।

(उपायुक्त ऊना)

116. पहले कुएं रास्ते आदि बनाने के लिए पैसे दिये जाते थे फिर से सरकार इसे लागू करे।

(सूरम सिंह पुत्र श्री सर्वण सिंह ग्रा0 व डा0 जसाना,तहसील वगाना,जिला ऊना,हि0प्र0, मोबाईल न0 9816611801)

विभागीय उत्तर:-

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सुचना अनुसार हरिजन बस्ती सुधार योजना के तहत कुएं/रास्ते का निर्माण किया जाता था परन्तु विभाग की उक्त स्कीम सरकार द्वारा बंद कर दी गई है अतः यह मामला सरकार से सम्बन्धित है।

(उपायुक्त ऊना)

117. हर पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास पर विशेष ध्यान देने बारे।

(रमेश हीर पुत्र श्री ईशर दास निवासी ग्राम व डा0 गगरेट,उप तहसील गगरेट स्थित कलोह जिला ,जिला ऊना,हि0प्र0, मोबाईल न0 9816284499)

विभागीय उत्तर:-

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सुचनानुसार जिला में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति बस्तियों/गांवों का विकास किया जा रहा है।

(उपायुक्त ऊना)

118. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों का उधार करना एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने बारे प्रयास करना ।

(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा0 सुनकली, तहसील घनारी,जिला ऊना,हि0प्र0 मोबाईल न0 9805851342)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सुचनानुसार अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा स्कीम चला कर इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किया

जा रहा है जबकि अनुसूचित जनजाति बस्तियों का मामला जनजातीय विभाग द्वारा देखा जाता है।

(उपायुक्त ऊना)

119. अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति किसी भी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर हल करना।
(मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द ग्राम भंजाल अपर, डा0 सुनकली, तहसील घनारी, जिला ऊना, हि0प्र0 मोबाईल न0 9805851342)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त ऊना से प्राप्त सुचनानुसार अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

(उपायुक्त ऊना)

उपायुक्त मण्डी से सम्बन्धित मदें:-

120. विधान सभा क्षेत्र सिराज, ग्राम पंचायत तांदी, राजस्व गांव तांदी में सडक टायरिंग दलित बस्ती दोघरा सडक से संतोषी माता मन्दिर डनिकर तक।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)
121. विधान सभा क्षेत्र सिराज, ग्राम पंचायत सोमगाड, राजस्व गांव सोमगाड में सडक जंजी से दलित बस्ती ब्राईधार।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)
122. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत भरौन, राजस्व गांव चडयाना में सडक निर्माण NH 21 से दलित बस्ती चडयाना तक।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)
123. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंडोह, राजस्व गांव पंडोह में सडक टायरिंग खाबली नाला से दलित बस्ती धडोली।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न0 9736900777)
124. विधान सभा क्षेत्र जोगेन्द्र नगर, ग्राम पंचायत पिपली, राजस्व गांव जोन में सडक टायरिंग दलित बस्ती से गांव जोन पोस्ट आफिस कुराटी।

(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)

125. विधान सभा क्षेत्र जोगेन्द्र नगर, ग्राम पंचायत हारगुसैन,राजस्व गांव हराबाग में पक्का रास्ता दलित बस्ति हारगुसैन।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
126. विधान सभा क्षेत्र नाचन, ग्राम पंचायत बग्गी,राजस्व गांव बग्गी में सामुदायिक भवन दलित बस्ती घरवास्डा।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
127. विधान सभा क्षेत्र द्रंग, ग्राम पंचायत बिजनी,राजस्व गांव बिजनी में पेयजल योजना दलित बस्ती हमग्राम।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
128. विधान सभा क्षेत्र द्रंग, ग्राम पंचायत नागधार,राजस्व गांव नागधार में सामुदायिक भवन दलित बस्ती धामू।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
129. विधान सभा क्षेत्र सिराज, ग्राम पंचायत तांदी, राजस्व गांव तांदी में उठाऊ पेयजल योजना पंडोह डेम दलित बस्ती डनिकर,बनचो तक।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
130. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में उठाऊ पेयजल योजना स्योगी दरिया से गांव दलित बस्ती सोझा व त्रयाबला।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
131. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में में हैण्ड पम्प दलित बस्ती त्रयाम्बला।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)

132. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में हैण्ड पम्प दलित बस्ती सोझा चतभूजा मन्दिर ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
133. विधान सभा क्षेत्र द्रंग, ग्राम पंचायत बिजनी, राजस्व ग्राम बिजनी में पेयजल योजना दलित बस्ती हमग्राम ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
134. विधान सभा क्षेत्र सिराज, ग्राम पंचायत नलवागी, राजस्व गांव नलवागी में सामुदायिक भवन दलित बस्ती सनकवाह
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
135. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में दलित बस्ती स्योगी, त्रयाम्बला,सारी,डमैनी,नहरा, राछडी ,निहरी इत्यादि को कम से कम 40 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
136. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंडोह, राजस्व ग्राम पंडोह में दलित बस्ती धडोली, सकैनी, टिल्ली, अपर पंडोह इत्यादि को कम से कम 30 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
137. विधानसभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत जागर, राजस्व ग्राम जागर में दलित बस्ती महरन, बास्ता, साम्बल इत्यादि को कम से कम 20 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
138. विधान सभा क्षेत्र बल्ह, ग्राम पंचायत लेदा, राजस्व ग्राम लेदा में दलित बस्ती इत्यादि को कम से कम 20 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)

139. विधानसभा क्षेत्र बल्ह, ग्राम पंचायत बग्गी, राजस्व ग्राम बग्गी में दलित बस्ती इत्यादि को कम से कम 20 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
140. विधान सभा क्षेत्र द्रंग, ग्राम पंचायत बिजनी, राजस्व ग्राम बिजनी में दलित बस्ती हमग्राम, खराडूबाग, छीपनू सिंहनाल इत्यादि को कम से कम 20 सौर ऊर्जा लाइटे ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
141. विधान सभा क्षेत्र नाचन, ग्राम पंचायत बग्गी, राजस्व ग्राम बग्गी में सामुदायिक भवन दलित बस्ती घरवास्डा ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
142. विधानसभा क्षेत्र मण्डी सदर,ग्राम पंचायत सयोग,राजस्व ग्राम सयोगी में मुरम्मत पानी का टैंक मोटर सहित व बैठने के लिए शेड शमशान घाट सिउणी
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
143. विधानसभा क्षेत्र बल्ह, ग्राम पंचायत भडयाल व चंडयाल,राजस्व ग्राम रियून्झी में मुरम्मत पानी का टैंक मोटर सहित व बैठने के लिए शेड शमशान घाट (भडयाल व चंडयाल पंचायत का सामूहिक शमशान घाट)
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
144. विधान सभा क्षेत्र मण्डी सदर, ग्राम पंचायत सयोग, राजस्व ग्राम सयोग में बैठने के लिए शेड शमशान घाट सिउणी ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. मोबाईल न० 9736900777)
145. विधानसभा क्षेत्र जोगेन्दर नगर, ग्राम पंचायत द्रुबल, राजस्व ग्राम द्रुबल में 5 सौर ऊर्जा लाइट(कुंनकर)पोस्ट आफिस द्रुबल जोगिन्द्र नगर ।
(महेन्द्र पाल Vill. Trambala, P.O. Pandoh, Tehsil Sadar, Distt.Mandi H.P. 175124)

विभागीय उत्तर

मद संख्या 120 से 145 जो उपायुक्त मण्डी से सम्बंधित है के सन्दर्भ में जिलाधीश मण्डी द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार उक्त कार्यो को पूर्ण करने हेतु उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मण्डी, उप-मण्डलाधिकारी(ना0) सदर बल्ह व जोगिन्दरनगर जिला मण्डी को दिशा-निर्देश दे दिए गए है कि वह अपने स्तर पर उक्त मद पर आगामी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(उपायुक्त मण्डी)

उपायुक्त कांगडा से सम्बन्धित मदें:-

146. रतन चन्द चन्जेहड, वार्ड न0 1 की जमीन खिसक रही है। जमीन के सुरक्षा के लिए 7 मीटर डंगा लगाने की आवश्यकता है।

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त कांगडा)

147. कान्तो राम पुत्र धर्म सिंह आदि भाईयों के घर का डंगा बिल्कुल खिसक रहा है। अतः इनके मकानों के सुरक्षा के लिए डंगा लगाने की आवश्यकता है।

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त कांगडा)

148. स्वर्णा देवी पत्नी साली राम, पंचायत वारी, वार्ड न0 2 के जमीन का डंगा बैठ रहा है, जिससे मकान को खतरा है। अतः मकान की सुरक्षा के लिए पांच मीटर डंगा लगाने की आवश्यकता है।

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी,तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा सूचना बैठक में उपलब्ध करवाएंगे।

(उपायुक्त कांगडा)

149. शमशान घाट रास्ता 200 मीटर नागनी, लागत मु0 2,50,000/-

(केवल सिंह पुत्र श्री चंदू राम ग्रा0 वणी डप0 नागनी भडवार, तह0 नूरपूर, जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816476864, 8219811521)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

150. गन्दड पंचायत के फला गांव में विधरी लाल के घर से मदन लाल के घर रास्ता पक्का करवाना ।

(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

151. दशमेश विश्राम गृह से लेकर वाटर सप्लाई तक लगभग 3350 मी0 के करीब पक्का रास्ता के निर्माण जिसकी अनुमानित व्यय राशि 1000000/- दस लाख रहेगी ।

(श्री सतपाल धीमान ग्रा0 व डा0 राज का बाग,तहसील नूरपूर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9878039527)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

152. एस0सी0 बस्ती रोड पचां वार्ड न0 7,250 मीटर ग्राम पंचायत नागनी लागत मुबलिक 300000/- का निर्माण कार्य बारे ।

(केवल सिंह पुत्र श्री चंदू राम ग्रा0 वणी डा0 नागनी भडवार, तह0नूरपूर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816476864, 8219811521)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

153. रविदास भवन निर्माण वार्ड न0 4 लागत मुबलिक 6000000/-

(केवल सिंह पुत्र श्री चंदू राम ग्रा0 वणी डा0 नागनी भडवार, तह0 नूरपूर, जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816476864,8219811521)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

154. रविदास मन्दिर रास्ता 30 मीटर वार्ड न0 4, लागत मुबलिक 300000 /—
(केवल सिंह पुत्र श्री चंदू राम ग्रा0 वणी डप0 नागनी भडवार, तह0 नूरपूर, जिला कांगडा,हि0प्र0,
मोबाईल: 9816476864, 8219811521)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

155. हैण्डपम्प अनुसूचित बस्ती वार्ड—3 ग्राम पंचायत कैलासपुर विकास खण्ड पंचरुखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भखाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल:
9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

156. जीप योग्य पक्की सडक मेन रोड से बिशम्बर दास के घर की ओर अनुसूचित जाति बस्ती ग्राम पंचायत कैलासपुर विकास खण्ड पंचरुखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भखाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल:
9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए ।

(उपायुक्त कांगडा)

157. हैण्ड पम्प जोगी बस्ती वार्ड न0 8 ग्राम पंचायत पडियारखर विकास खण्ड पंचरुखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भखाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल:
9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

158. हैण्ड पम्प कबीर पंथी बस्ती अगोजर ग्राम पंचायत अगोजर विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

159. जीप योग्य पक्की सडक कबीर पंथी गांव गाहर ग्राम पंचायत भरवाना विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना, तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

160. हैण्ड पम्प कबीर पंथी गांव गाहर विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

161. हैण्ड पम्प कबीर पंथी बस्ती गोरट मिलाप चन्द के घर के साथ ग्राम पंचायत राजपुर विकास खण्ड पंचरूखी।

(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना, तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

162. हैण्ड पम्प कबीर बस्ती बगेहड वीना देवी के घर के पास ग्राम पंचायत गदियाडा विकास खण्ड पंचरुखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना,तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

163. हैण्ड पम्प कबीर बस्ती वार्ड न0 2, ग्राम पंचायत पडियारखर विकास खण्ड पंचरुखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना, तहसील, पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

164. हैण्ड पम्प कबीर बस्ती टम्मबर ग्राम पंचायत टम्मबर विकास खण्ड लम्बागांव ।
(अजय कबीर ग्रा0 चथमी डा0 भरवाना, तहसील, पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

165. करतार सिंह के घर से राजिन्द्र सिंह के घर तक जीप योग्य सडक लम्बाई 125 मीटर 20 घर अनुसूचित जाति के हैं ।
(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम **EX-UP Pradhan** ग्राम व डा0 वारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

166. रविन्द्र के घर से बताहल जो अनुसूचित जाति के लोगों को सन 1975-76 में शामलात भूमि आंबटित हुई थी वहां पर उनको जीप योग्य सडक का आश्वासन

दिया था लेकिन आज तक सड़क नहीं निकली है । वहां पर अनुसूचित परिवारों की संख्या लगभग 30 परिवार है । और एक किलोमीटर लगभग सड़क निकलनी है (प्राथमिकता)पंचायत वार्ड न0 7

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगड़ा)

167. रमेश के घर को पानी का खतरा इन सभी के घर कच्चे है। 8 मीटर हल्का डगा। जाति बरड वार्ड न0 1 चन्जेहड

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगड़ा)

168. छतांकू के घर से रमेश के घर तक 15 मीटर रास्ता बिल्कुल खराब है । (अनुसूचित जाति)वार्ड न0 2 पंचायत बारी

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगड़ा)

169. बरी पंचायत वार्ड न0 7 में 15 घर अनुसूचित जाति के हैं उनके घरों के पानी की निकासी नहीं है । उनकी निकासी वार्ड न0 7 पंचायत बरी

(श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री हरि राम EX-UP Pradhan ग्राम व डा0 वारी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, मोबाईल: 9816289941)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगड़ा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगड़ा)

170. पुनर पंचायत के वार्ड नं 3 नग्नल अनुसूचित जाति बस्ती आज तक सडक से वंचित है
(श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री दीनानाथ ग्रा0 व डा0 पुन्नर, तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816646352)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

171. मलकेहड पंचायत में एस0सी बस्ती के लिए कोई शमशानघाट नहीं है और खुले में ही अंतिम संस्कार करते है ।
(श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री दीनानाथ ग्रा0 व डा0 पुन्नर, तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816646352)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

172. गढ पंचायत के वार्ड नं 1 में भी एस0सी0 बस्ती का शमशानघाट न होने के कारण अंतिम संस्कार खुल में कर रहे है ।
(श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री दीनानाथ ग्रा0 व डा0 पुन्नर, तहसील पालमपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9816646352)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

173. अनुसूचित जाति के करीब 35 गांव में सोलर लाईट का प्रावधान करीब 250 लाईट की जरूरत।
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

174. वागकुलजा पंचायत में अनुसूचित जाति बस्ती कुहहण में आज तक रास्ता पक्का नहीं हुआ(सम्भु राम के घर से दावला टिहारी लिंक रोड तक)पक्का करवाना।
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

175. इलाके में अनुसूचित जाति के 18-20 गांव ऐसे है जहां न कोई सामुदायिक केन्द्र है और न ही जंज घर है उनका निर्माण करवाना।
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

176. जालग पंचायत के लहछी गांव की दलित बस्ती के शमशानघाट के लिए रास्ता पक्का करने का प्रावधान करना।
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

177. धुपटयारा पंचायत के अनुसूचित जाति की बस्ती का रास्ता पक्का करवाना(तरीडु राम के घर से मेन रोड तक)
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर,तहसील जयसिंहपुर,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

178. धुपटयारा पंचायत के चौआ गांव की अनुसूचित जाति बस्ती का रास्ता पक्का करना(नौण से काकु राम के घर तक)
(श्री गिरधारी सिंह धारी ग्रा0 व डा0 जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल: 9417237297)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

179. अनु0जाति बस्ती के लिए स्ट्रीट लाईटों का प्रबन्ध किया जाये जिससे स्ट्रीट लाईटों की संख्या 15 रहेगी |(श्री सतपाल धीमान ग्रा0 व डा0 राज का बाग, तहसील नुरपूर, जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9878039527)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

180. गांव पपलाह बडेहर मुंडखर, भरेडी लोअर बाजार जाहू रोड, पपलाह कोट मसन्दा, अम्बी गांव इन सभी अनु0 जाति के गांव में प्रत्येक गांव में 10 सोलर लाईट्स को मंजूर करने की गुजारिश है ।
(श्री दिनेश भाटिया गांव पपलाह,डा0 भराडी,तहसील भोरंज,जिला कांगडा,हि0प्र0, मोबाईल: 9818949000, 9418950000,9418919999)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

181. 10 सोलर लाईट दलित बस्ती कण्डारल,जालगू बस्ती लमेहड और गाहर ग्राम पंचायत भरवाना विकास खण्ड पंचरूखी ।
(अजय कबीर ग्रा0 गाहर(चथमी)डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

182. 3 स्ट्रीट लाईट कबीर पंथी बस्ती मौली चक ग्राम पंचायत मौलीचक विकास खंड पंचरूखी, रोशन लाल के घर के साथ, निक्का राम, व लाल चन्द के घर के पास ।
(अजय कबीर ग्रा0 गाहर(चथमी)डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

183. 5 स्ट्रीट लाईट सल्याणा कबीर पंथी गांव गाहर ग्राम पंचायत भरवाना विकास खण्ड पंचरूखी ।

(अजय कबीर ग्रा0 गाहर(चथमी)डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

184. स्ट्रीट लाईट 5 जोगी बस्ती ग्राम पंचायत भिरडी विकास खण्ड पंचरूखी ।

(अजय कबीर ग्रा0 गाहर(चथमी)डा0 भरवाना, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा, हि0प्र0, मोबाईल न0 98059114699)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त कांगडा बैठक में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाए।

(उपायुक्त कांगडा)

उपायुक्त बिलासपुर से सम्बन्धित मदें

185. अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सभी सदस्यों को जिला स्तरीय सरकारी बैठकों में आमंत्रित किया जाना चाहिये ताकि एस0सी0 लोगों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करके उनका निपटारा किया जा सके ।

(दिनेश कुमार सपुत्र श्री शिव राम,गांव ओएल,डा0 बिलासपुर,तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0,मोबाईल न0 9736191470)

विभागीय उत्तर

इस मद पर जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर द्वारा अवगत करवाया गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को विभाग की विभिन्न बैठकों में बुलाया जाता है तथा भविष्य में जब भी जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा तो उसमें अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड के सभी गैर सरकारी सदस्यों को आमन्त्रित किया जाएगा।

(उपायुक्त बिलासपुर)

186. एस0सी कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लिखित समस्याओं का निपटारा सरकारी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश जारी किये जाने चाहिये ताकि सरकार व प्रशासन का कार्य आसान हो सके तथा एस0सी0 वर्ग को विभागों के बार-2 चक्कर न लगाने पड़े ।

(दिनेश कुमार सपुत्र श्री शिव राम, गांव ओएल, डा0 बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0, मोबाईल न0 9736191470)

विभागीय उत्तर

इस मद के सन्दर्भ में जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को एस0सी0 कल्याण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा उन्हे लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं का निपटारा/समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं ।

(उपायुक्त बिलासपुर)

187. बिलासपुर सदर चुनाव क्षेत्र में एस0सी0 बस्तियों में आज भी लोग सडक सुविधा से वंचित हैं ज्यादातर बस्तियों में आज भी एम्बूलैस सेवा सडक/लिंग रोड न होने की वजह से नहीं है । उदाहरण के लिये गांव ओयल की एस0सी बस्ती में आज भी लोग विभाग/सरकार व पंचायत के पास गुहार लगा चुके हैं, परन्तु आज तक कोई यहां पर सडक सुविधा का इन्तजाम न हो सका है, सम्बन्धित विभाग तुरन्त ऐसी बस्तियों का दौरा करके यहां पर लिंग रोड आदि की सुविधा दिलवाने की कृपा करे । ताकि बीमारी की हालत में मरीजों को चारपाई पर न ले जाकर एम्बूलैस में ले जाया जा सके ।

(दिनेश कुमार सपुत्र श्री शिव राम, गांव ओएल, डा0 बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0, मोबाईल न0 9736191470)

विभागीय उत्तर

इस मद पर अधीक्षण अभिन्यता, दशम वृत्त हि0प्र0 लो0 नि0 विभाग बिलासपुर ने अवगत करवाया है कि सदर चुनाव क्षेत्र में एस0सी0एस0पी0 मुख्य शीर्ष के अर्न्तगत एस0सी0 बस्ती के लिए 33 नम्बर सडके और 6 नम्बर पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई है । इनमें से 4 नम्बर सडकों व 2 नम्बर पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । इनमें से कई सडकों का कार्य पूर्ण लिया गया है । इनमें से कई सडकों का कार्य प्रगति पर है तथा कई सडकों का कार्य लोगों की निजी भूमि/सरकारी भूमि की स्वीकृति न होने की वजह से काम शुरू नहीं किया जा सका है । गांव ओयल के लिए एस0सी0एस0पी0 तथा ओ0टी0एम0एन0पी0 दोनों शीर्षों में सरकार से सडक की स्वीकृति है लेकिन लोगों की निजी भूमि व सरकारी भूमि की सहमति न मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त जिला योजना अधिकारी बिलासपुर ने अवगत करवाया है कि चुनाव क्षेत्र सदर में एस0सी0 बस्तियों हेतु विकेन्द्रीकरण नियोजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2001-02 से वित्तीय वर्ष 2020-2021 तक एम्बूलैस सेवा सडक/लिंग रोड हेतु स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

शीर्ष	स्वीकृत कार्य	राशि
SDP	2	160000/-
MMGPY(Gen)	2	190000/-
MPLADS(LS)	7	550000/-
VKVNY	11	1140000/-
MMGPY(MLA)	1	99000/-
कुल	25	2589000 /-

इस सन्दर्भ में जिला योजना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत करवाया है कि लिंक रोड हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अर्न्तगत कार्य "C/O Link road Cinema Towards SC Basti Oel" हेतु 1,50,000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर द्वारा अवगत करवाया गया है कि गांव ओयल की अनुजाति से सम्बन्धित बस्ती PMAGY योजना में डाली गई है व इसकी VDP में एम्बुलैस लिंक रोड पारित किया जा चुका है तथा जिला कल्याण विभाग द्वारा PMAGY के अर्न्तगत 20 लाख रुपये की राशि गांव के विकास हेतु प्रदान की जा चुकी है।

(उपायुक्त बिलासपुर)

188. विभिन्न विभागों द्वारा एस0सी0 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके कैंप आयोजित किये जाये तथा एस0सी0 वर्ग हेतु हेतु सब्सीडी पर आया सामान पात्र लोगों को कैंप में आंबटित किया जाये,ताकि सरकार की योजनाएं व उनका लाभ पात्र निर्धन एस0सी0परिवारों तक मिल सके।

(दिनेश कुमार सपुत्र श्री शिव राम,गांव ओएल,डा0 बिलासपुर,तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0,मोबाईल न0 9736191470)

विभागीय उत्तर

इस मद के सन्दर्भ में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बारे तहसील व पंचायत स्तर पर जिला कल्याण अधिकारी व सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है।

(उपायुक्त बिलासपुर)

उपायुक्त हमीरपुर से सम्बन्धित मदे:-

189. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए प्लान में जो बजट स्वीकृत किया जाता है,उसकी प्रतिमाह जांच- पडताल की जानी चाहिए।बजट में से कितनी रकम खर्च की गई है या कितनी बाकी है।सूचना सरकार को भेजी जानी चाहिए।

(पुन्नु राम ब्लौसम पुत्र स्व: श्री खजानु राम ग्राम व डा0 टौणी देवी,तहसील बमसन,जिला हमीरपुर,मोबाईल न0 9805093502)

विभागीय उत्तर

अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसके अर्न्तगत सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्षो से उक्त योजना के अर्न्तगत आंबटित/स्वीकृत बजट व व्यय पर चर्चा की जाती है। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट समय-2 पर निदेशालय भेजी जा रही है।

(उपायुक्त हमीरपुर)

190. यदि कोई कार्य रूका है तो उसे शीघ्र अति शीघ्र शुरू किया जाए तथा समय रहते पूर्ण किया जाए।

(पुन्नु राम ब्लौसम पुत्र स्व: श्री खजानु राम ग्राम व डा0 टौणी देवी,तहसील बमसन,जिला हमीरपुर,मोबाईल न0 9805093502)

विभागीय उत्तर

यदि कोई कार्य किसी कारण वश रूका हो तो उक्त जिला स्तरीय बैठकों में चर्चा उपरान्त उचित निर्णय लिया जाता है। माननीय सदस्य के ध्यान में यदि कोई ऐसा कार्य है जो किसी कारण वश रूका हुआ है तो वह जिला प्रशासन के ध्यान में लाने की अनुकम्पा करें।

(उपायुक्त हमीरपुर)

191. सौर ऊर्जा की जो लाइटें सरकार द्वारा दी जाती हैं,उनका रख रखाव ठीक ढंग से न होने के कारण,वे बन्द पडी हैं, या समाप्त हो चुकी है। भविष्य में जो लाइटें दी जाएं,उनकी हिफाजत के लिए इच्छुक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाई जाए,ताकि समय-2 पर उनकी मुरम्मत होती रहें,यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(पुन्नु राम ब्लौसम पुत्र स्व: श्री खजानु राम ग्राम व डा0 टौणी देवी,तहसील बमसन,जिला हमीरपुर,मोबाईल न0 9805093502)

विभागीय उत्तर

परियोजना अधिकारी हिम ऊर्जा हमीरपुर हि0प्र0 को जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या:-एसजेई(डी.32-ए0पी0) एचएमआर-71.1/ 2021 -2629 दिनांक 10.12.2021 द्वारा इस मद में उचित कार्यवाही करने हेतु अवगत करवा दिया गया है।

(उपायुक्त हमीरपुर)

192. गांव पपलाह बडेहर मुंडखर, भरेडी लोअर बाजार जाहू रोड, पपलाह कोट मसन्दा, अम्बी गांव इन सभी अनु0 जाति के गांव में प्रत्येक गांव में 10 सोलर लाइटस को मंजूर करने की गुजारिश है।

(Dinesh Bhatiya Vill. Papla, P.O. Bharadi, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur, H.P. Mobile No. 9418949000, 9418950000, 9418919999)

विभागीय उत्तर

उपायुक्त, जिला हमीरपुर से प्राप्त सूचनानुसार विषय के संबंध में मुताबिक रिपोर्ट अधिकारी हिम उर्जा हमीरपुर द्वारा अवगत करवाया है कि अनुसूचित जाति विकास प्रोग्राम के तहत सोलर लाइट स अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में लगाई जाती है तथा इन सौर गली रोशनियों का निर्धारण स्थानीय विधायक द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा विभाग में अपने स्तर पर सौर गली लाइटस का कोई भी वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(उपायुक्त हमीरपुर)
